सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

वर्ष 03, अंक 166, नई दिल्ली, रविवार 24 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक जीना, तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

03 दिल्ली की रामलीला कमेटी को निशुल्क बिजली दे सरकार
06 भौतिकविदों ने एक नए प्रोटॉन मैजिक नंबर की पहचान की है
08 भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 4 करोड़ का गांजा जब्त, दंपति गिरफ्तार

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में,

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में पीईएफआई (PEFI), युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय गौरव के लिए सवारी।

प्रयागराज से दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और आगरा होते हुए - 24 अगस्त से 31 अगस्त तक,

अमर हॉकी आइकन मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।

आइये विरासत के लिए आगे बढ़ें, आइये भारत के लिए आगे बढ़ें।

हम 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इंडिया गेट पर ग्रैंड फिनाले के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं... हमसे जुड़ें

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

Ride for National pride under the aegis PEFI, Ministry of Youth Affairs & Sports, GOI on the occasion of the celebration of Rashtriya Khel Mahotsav 2025. Prayagraj to Delhi via Kanpur, Jhansi, Gwalior & Agra – 24th August to 31st August, to pay tributes to immortal Hockey icon Maj. Dhyan Chand ji. Let's ride for Legacy, let's ride for India. We are reaching Delhi on 31st August at 0730 am Maj. Dhyan Chand Stadium, India Gate for grand finale...join us

वेदांता एल्युमिनियम झारसुगुड़ा के फ्लाई ऐश प्रदूषण की तुलना भारत में भारी व्यावसायिक वाहनों के प्रदूषण से – राष्ट्रीय प्रदूषण आंकड़ों के साथ

परिवहन विशेष न्यूज

"उफ्तत्सा" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने आज औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की तुलना पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वेदांता एल्युमिनियम के झारसुगुड़ा संयंत्र से निकलने वाला फ्लाई ऐश प्रदूषण राष्ट्रीय स्तर पर भारी व्यावसायिक वाहनों (ट्रक और ट्रेलर) के प्रदूषण के महत्वपूर्ण हिस्से की बराबरी करता है। इसके बावजूद, छोटे ट्रक मालिकों को प्रदूषण का मुख्य दोषी ठहराया जाता है, जो कि अनुचित और भेदभावपूर्ण है। यह प्रेस विज्ञप्ति राष्ट्रीय प्रदूषण के आंकड़ों को प्रतिशत के आधार पर शामिल करते हुए तथ्यात्मक तुलना प्रस्तुत करती है, ताकि इस असमानता को उजागर किया जा सके।

राष्ट्रीय प्रदूषण आंकड़े (प्रतिशत आधारित)

भारत में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों का योगदान निम्नलिखित है (Statista, AQLI, और CSE की 2024-25 की रिपोर्ट्स के आधार पर):

वायु प्रदूषण (PM2.5): कुल PM2.5 उत्सर्जन में से 51% औद्योगिक गतिविधियों (कोयला आधारित संयंत्र, फ्लाई ऐश सहित), 27% वाहनों (जिनमें भारी वाहन 53% हिस्सा रखते हैं), 17% कृषि अवशेष जलाने, और 5-7% घरेलू खाना पकाने से आता है।

जल प्रदूषण: 70% जल प्रदूषण अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट (फ्लाई ऐश रिसाव सहित) से, 20% कृषि रनऑफ से, और 10% अन्य स्रोतों से।

CO2 उत्सर्जन: 2023 में भारत का कुल CO2 उत्सर्जन 2.83 बिलियन टन था, जिसमें 45% बिजली उत्पादन (कोयला संयंत्र), 30% उद्योग, 14% परिवहन (जिसमें HDV का हिस्सा ₹10%), और 11% अन्य स्रोतों से।

वेदांता झारसुगुड़ा फ्लाई ऐश बनाम भारी वाहन प्रदूषण: तथ्यात्मक तुलना

फ्लाई ऐश प्रदूषण (वेदांता झारसुगुड़ा):

भारत में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स सालाना 226 मिलियन टन फ्लाई ऐश उत्पन्न करते हैं (CEA, 2021-22)। झारसुगुड़ा संयंत्र (3615 MW) अकेले 8 मिलियन टन फ्लाई ऐश उत्पन्न करता है, जो राष्ट्रीय फ्लाई ऐश उत्पादन का 3.5% है (Vedanta Sustainability Report FY 2023-24)।

उपयोग दर 93% होने के बावजूद, 7% (लगभग 560,000 टन) अप्रबंधित फ्लाई ऐश पर्यावरण में फुगिटिव डस्ट और भारी धातुओं (आर्सेनिक, लेड) के रूप में फैलता है, जो PM2.5 और जल प्रदूषण में योगदान देता है।

झारसुगुड़ा से PM उत्सर्जन: 6,032 टन/वर्ष, जो राष्ट्रीय HDV PM उत्सर्जन (53,000 टन, 2021) का 11.4% है। NOx उत्सर्जन: 51,464 टन/वर्ष, जो राष्ट्रीय HDV NOx (1.6 मिलियन टन) का 3.2% है। SOx उत्सर्जन: 178,682 टन, जो ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन में योगदान देता है।

भारी व्यावसायिक वाहनों (HDV) का प्रदूषण:

2021 में HDV से 53,000 टन PM2.5 उत्सर्जन, जो कुल वाहन PM का 53% और राष्ट्रीय PM2.5 का 14% (27% वाहन प्रदूषण का हिस्सा-मात्र₹14.3% ही) है।

NOx: 1.6 मिलियन टन, कुल परिवहन NOx का 80% और राष्ट्रीय NOx का लगभग 20%।

CO2: 87 मिलियन टन (2020), कुल परिवहन CO2 का 70% और राष्ट्रीय CO2 का 10%।

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रान्सपोर्ट सारथी संगठन ट्रक ट्रान्सपोर्ट की समस्याओं को लेकर 1 सितंबर को ट्रक यूनियन असन्ध में मिटिग का आयोजन किया गया है इस मिटिग में राजस्थान के हनुमान गढ़ की युनियन ओर पंजाब की युनियन भी शामिल होगी आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में असन्ध पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डाक्टर राजकुमार यादव जी की अध्यक्षता में मिटिंग होगी आयोजक प्रधान चतर सिंह समस्त कमेटी ट्रक यूनियन असन्ध

क्षेत्रीय प्रभाव: उत्तरी भारत (इंडो-गैंगेटिक मैदान) में HDV प्रदूषण का प्रभाव अधिक है, जहां PM2.5 स्तर WHO दिशानिर्देश (5 g/m) से 11 गुना अधिक है।

तुलनात्मक विश्लेषण

मात्रा और प्रभाव: एक संयंत्र (झारसुगुड़ा) का PM उत्सर्जन राष्ट्रीय HDV PM का 11.4% है, जो दर्शाता है कि एकल औद्योगिक इकाई का स्थानीय प्रभाव लाखों वाहनों के राष्ट्रीय योगदान से तुलनीय है। फ्लाई ऐश का अप्रबंधित हिस्सा (560,000 टन) लंबे समय तक वायु, जल और मिट्टी को प्रदूषित करता है, जबकि HDV उत्सर्जन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित है।

स्वास्थ्य प्रभाव: फ्लाई ऐश से भारी धातु रिसाव और PM2.5 श्वसन रोग, कैंसर और हृदय रोगों का कारण बनता है, जो HDV PM के प्रभावों के समान है। भारत में वायु प्रदूषण से 2 मिलियन से अधिक समयपूर्व मौतें होती हैं, जिनमें औद्योगिक और परिवहन स्रोत दोनों शामिल हैं।

नीतिगत भेदभाव: HDV मालिकों पर BS-VI मानक, डीजल मूल्य वृद्धि, और टोल लागत जैसे सख्त नियम लागू हैं, जबकि फ्लाई ऐश प्रबंधन में लापरवाही पर केवल जुर्माना लगता है (उदाहरण: झारसुगुड़ा पर 71.16 करोड़ रुपये, अप्रैल 2024)। यह छोटे ट्रक मालिकों के साथ अन्याय है।

डॉ. यादव ने कहा, 'राष्ट्रीय प्रदूषण आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि औद्योगिक स्रोत, विशेष रूप से फ्लाई ऐश, वायु और जल प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं, फिर भी ट्रक मालिकों को प्रदूषण का मुख्य दोषी ठहराया जाता है। यह छोटे परिवहनकर्ताओं के साथ भेदभाव है, जो पहले से ही आर्थिक दबाव में हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियम लागू हों और फ्लाई ऐश प्रबंधन के लिए पारदर्शी नीतियां बनें।'

"उफ्तत्सा" मोर्चा इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करेगा और सभी ट्रक मालिकों से अपील करता है कि वे इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हों। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: [संपर्क विवरण डालें]।

डॉ. राजकुमार यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष
"उफ्तत्सा" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी)

स्रोत:
Statista, Environmental pollution in India - statistics & facts
Sigma Earth, India Reduced Air Pollution By 26.84% Nationwide Between 2019 And 2024
EPIC-India, Top 5 Pollution Charts from India
ShunWaste, India's Pollution Crisis: Understanding The Percentage

भारत सरकार
Government of India
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल,
Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, नई दिल्ली/New Delhi-110029

निदेशक कार्यालय
Office of Director

फाईल सं.: E33956ACDM-22/1/2025-ACAD-VMMC

दिनांक: 29/07/2025

प्री- हॉस्पिटल ट्रॉमा सहायक के 16वें कोर्स के लिए प्रशिक्षुओं का चयन। सफदरजंग अस्पताल एवं वी. एम. एम.सी, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, एल. एच. एम.सी. और एसोसिएटेड अस्पताल

(सत्र 2025-26)

निदेशक सफदरजंग अस्पताल एवं वी. एम. एम. सी., नई दिल्ली 1 अक्टूबर 2025 से सफदरजंग अस्पताल एवं बी.एम.एम.सी, डॉ. आर. एम. एल. और लेडिहार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पताल में शुरू होने वाले प्री- हॉस्पिटल ट्रॉमा सहायक प्रशिक्षण 16वें पाठ्यक्रम (पी.टी.ए. कोर्स) के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। 16वें पाठ्यक्रम के विवरण, पात्रता मानदंड, अन्य नियम और शर्तों के साथ आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा अस्पताल की वेबसाइट www.vmmc-sjh.mohfw.gov.in पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे किसी भी अन्य अधिसूचना के लिए नियमित रूप से इस संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
CBC 17145/11/0003/2526 शैक्षणिक अनुभाग

आदेश

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय में I.A. NO. 175079/2025 IN W.P. (C) NO.13029/1985 के संबंध में निर्देश।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा I.A. NO. 175079/2025 IN W.P. (C) NO.13029/1985 में दिनांकित 12.08.2025 आदेशानुसार, निम्नलिखित निर्देश पारित किए गए है:

"Issue notice, returnable in four weeks- In the meantime, we direct that no coercive steps be taken against the owners of the vehicles on the ground that they are 10 years old (in case of Diesel engine) and 15 years old (in case of Petrol engine)"

अतः आप सभी यातायात निरीक्षको/प्रबन्धक थाना यातायात, गुरूग्राम को आदेश दिया जाता है कि अग्रिम आदेशों तक डीजल इंजन वाले 10 वर्ष से पुराने तथा पेट्रोल इंजन वाले 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर केवल उनकी वाहन आयु के आधार पर वाहन मालिक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक/बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करें एवं इसका सख्ती से पालन करें।

(डा. राजेश कुमार मोहन, भा०पु०से०)
पुलिस उपायुक्त,
यातायात, गुरूग्राम।

क्रमांक 3978-4008 दिनांक 21.08.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है -

1. सभी सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, गुरूग्राम।
2. सभी यातायात निरीक्षक/प्रबन्धक थाना यातायात, गुरूग्राम।
3. प्रभारी, कन्ट्रोल रूम यातायात, गुरूग्राम।
4. प्रभारी, चालान शाखा, गुरूगाम।

इन आठ पुष्पों से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। वे आठ पुष्प इस प्रकार हैं

(1) इन्द्रियनिग्रह : व्यर्थ देखने, सूँघने, सोचने, इधर-उधर व्यर्थ जगह पर भटकने की आदत को रोकना इसको कहते हैं इन्द्रियनिग्रहरूपी पुष्प।
(2) अहिंसा : मन-वचन-कर्म से किसीको दु:ख न देना।
(*) निर्दोष प्राणियों पर दया : मूक एवं निर्दोष प्राणियों को न सताना। दोषी को अगर दंड भी देना हो तो उसके हित की भावना से देना।
(4) क्षमारूपी पुष्प।
(5) मनोनिग्रह (शम) : मन को एक जगह पर लगाने का अभ्यास करना, एकाग्र करना।
(6) ध्यानः भगवान का ध्यान करना।
(7) सत्य का पालन।
(8) श्रद्धा : भगवान और भगवान को पाये हुए महापुरुषों में दृढ़ श्रद्धा रखना।

इन्द्रीय दमन

इन्द्रिय दमन का अर्थ है - इंद्रियों को नियंत्रित करना और उन्हें अपने वश में रखना। यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा है जो हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करती है।

इन्द्रिय दमन क्यों जरूरी है

- मन की शांतिः इंद्रियों को नियंत्रित करने से मन की शांति और स्थिरता मिलती है।
- आध्यात्मिक विकासः इन्द्रिय दमन आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे हम अपने आंतरिक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- विवेक और संयमः इंद्रियों को नियंत्रित करने से हमें विवेक और संयम प्राप्त होता है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं।

इन्द्रिय दमन के लिए उपाय

- ध्यान और आत्म-चिंतनः ध्यान और आत्म-चिंतन से इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है।
- सदाचार और सद्विचारः सदाचार और सद्विचार का पालन करने से इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
- वैराग्य और संयमः वैराग्य और संयम का अभ्यास करने से इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

इस प्रकार, इन्द्रिय दमन एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करती है और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है।

अंतःकरण की शुद्धि : दैवीय संपदा
भगवद्गीता : 16/1

अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ है - मन, बुद्धि, और चित्त की शुद्धि। यह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा है जो हमें अपने आंतरिक स्वरूप को शुद्ध और पवित्र बनाने में मदद करती है।

अंतःकरण की शुद्धि का महत्व

- आंतरिक शांतिः अंतःकरण की शुद्धि से हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि मिलती है।
- स्पष्टता और विवेकः शुद्ध अंतःकरण से हमें स्पष्टता और विवेक प्राप्त होता है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं।
- आध्यात्मिक विकासः अंतःकरण की शुद्धि आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है।

अंतःकरण की शुद्धि के लिए उपाय

- ध्यान और आत्म-चिंतनः ध्यान और आत्म-चिंतन से अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है।
- सदाचार और सद्विचारः सदाचार और सद्विचार का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है।
- निस्वार्थ भावनाः निस्वार्थ भावना से काम करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है।

इस प्रकार, अंतःकरण की शुद्धि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें अपने आंतरिक स्वरूप को शुद्ध और पवित्र बनाने में मदद करती है और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है।

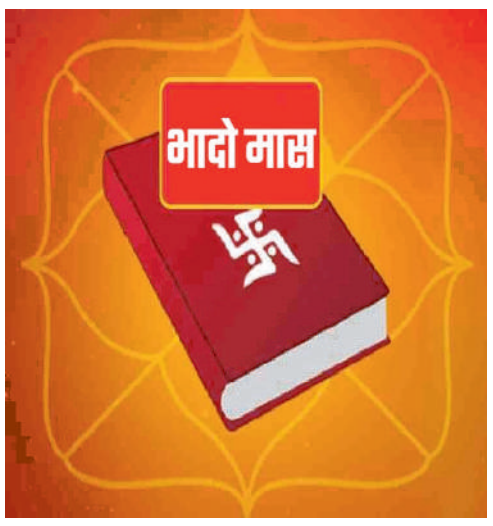

भाद्रपद मास खास डोर...!

आओ अब लौटें "सनातन" की ओर,
भाद्रपद मास की यहीं खास है डोर।
इस महीने का विशेष होता है महत्व,
अत्यंत ही पुण्य-शुभफलदायीं' सत्व।
ये पिठोरी और कुशग्रहणी अमावस्या,
कहते हैं सभी की 'दूर' होती समस्या।

इस तिथि का संबंध पितरों की तृप्ति,
संतान सुख और दीर्घायु की हैं भक्ति।
स्नान, दान, तर्पण एवं करें पितृ पूजन,
महत्व शास्त्रों में स्पष्ट किया है स्वजन।
विशेष रूप से गंगा, यमुना और नर्मदा,
शिप्रा पवित्र नदियों में स्नान हैं सर्वदा।

अपने पितरों हेतु करिए स्जल अर्पण,
दान करों परम कल्याणकारी समर्पण।
जो होते नदीस्नान करने में हैं असमर्थ,
वे स्नान जल में गंगाजल मिला समर्थ।
सूर्य देव को 'अर्घ्य' अर्पित करें कामना,
वे हर कठिनाई का दृढ़ हो करें सामना।

ल्यूकोरिया (सफ़ेद पानी)

लिकोरिया को आम बोलचाल की भाषा में सफेद पानी, श्वेत प्रदर या व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है। यह महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है जो पीरियड्स से पहले या बाद में सामान्य तौर पर एक से दो दिन के लिए होता है।

इससे पीड़ति महिला की योनि से सफेद, पीला, हल्का नीला या लाल रंग का चिपचिपा और बदबूदार पदार्थ का स्राव होता है। ज्यादातर मामलों में यह स्राव सफेद रंग का होता है। हर महिला में इस स्राव की मात्रा और समयावधि अलग-अलग हो सकती है।

लिकोरिया का लक्षण महिलाओं की यौन स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी समस्याओं की तरह लिकोरिया के भी कुछ लक्षण होते हैं जिनकी मदद से एक महिला इस बात का अंदाजा लगा सकती है की वह इससे पीड़ति है।

लिकोरिया यानी योनि से सफेद पानी आने के सामान्य लक्षणों में निम्न शामिल हैंः-

- कमजोरी महसूस करना
- चक्कर आना
- योनि में तेज खुजली होना
- शरीर में भारीपन महसूस होना
- बार-बार पेशाब लगना
- भूख न लगना
- जी मिचलाना
- आंखों के सामने अंधेरा छाना
- चिड़चिड़ापन होना
- हाथ, पैर, कमर और पेट में दर्द होना

लिकोरिया का उपचार कई तरह से किया जाता है। डॉक्टर सफेद पानी के कारण की पुष्टि करने के बाद उपचार प्रक्रिया शुरू करते हैं।

लिकोरिया कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन समय पर उचित इलाज नहीं करने पर जटिलताओं का खतरा होता है।

अगर आप लिकोरिया से पीड़ति हैं तो एक अनुभवी डॉ से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है।

सावधानियां

- खुजली और जलन होने पर आइस पैक और गीली पट्टी का इस्तेमाल करें।
- अंडरवियर की साफ-साफ का खास ध्यान रखें।
- पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन को ज्यादा देर तक न पहनें।
- सिंथेटिक पैंटी के बजाय सूती या लीलन पैंटी पहनें।
- जननांग क्षेत्र को ज्यादा न धोएं, इससे पीएच असंतुलन हो सकता है।
- स्टूल पास करने या पेशाब के बाद आगे से पीछे की तरफ अच्छी तरह पानी से धोएं।
- इन सबके अलावा, संतुलित आहार का सेवन करें।
- रोजाना कम से कम 10-12 गिलास पानी पीएं।
- हल्का-फुल्का व्यायाम करें।
- सुबह या शाम में मेडिटेशन करें।

यदि पुनर्जन्म या परलोक नहीं मानते तो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि अभी अपने संस्कार-बीजों से हम परिचित नहीं हैं

यदि पुनर्जन्म या परलोक नहीं मानते तो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि अभी अपने संस्कार-बीजों से हम परिचित नहीं हैं।

लेकिन हमारी अंतर्चेतना हमें अपने पुराने संग्रहों में से परिणाम/फल निकाल कर जब देती है तो हम अपनी धुंधली याददाश्त जोकि जन्म-जन्मांतर से हमारे संस्कारों में दबी पड़ी है, उभर आती है। ध्यान रहे कि जीवन की घटनाएं एक ही जन्म से शुरू होकर, उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त नहीं हो जातीं। इसे समझने के लिए हम वृक्ष का उदाहरण लें सकतें हैं। एक बीज में एक वृक्ष छिपा हुआ है। और एक वृक्ष से अनन्त फल बनते/पैदा होतें हैं। कुछ फल एक बीजी होते हैं और कुछ बहु-बीजी होतें हैं। जैसे एक बीज से अनंत वृक्ष बनने की सम्भावना हैं वैसे ही एक संस्कार/विचार रूपी बीज से हम एक जन्म धारण करतें हैं और एक जन्म में कोई 40, 50, 60 या 100 साल भी जीतें हैं। और पल/प्रतिपल मात्र एक या दो नहीं, बल्कि हजारों-लाखों 'चाहतों के बीज' अपनी संस्कार-भूमि में डाल देतें हैं। अर्थात एक बीज से एक जन्म, और एक जन्म में लाखों बीजों का प्रस्फुटन, यदि यही निरंतरता बनी रहे तो, संस्कार-बीजों का विसर्जन कभी नहीं हो सकता। जिसे यह स्थिति ठीक से दिख जाये, केवल वही चाहतों के नये बीजारोपण करने से ठहर जायेगा और पिछले/पुराने बीजों को, अंकुरित होने से पहले ही, अपनी संस्कार-भूमि से निकालना प्रारम्भ कर देगा। जिससे नये बीज निर्मित नहीं होंगें और पुराने बीजों की निर्जरा होने लगेगी। वास्तव में अपने आप को बंधन में भी हम ही बांधते हैं, तो इन बंधनों को खोलना/खुलना भी हमारी ही स्वतंत्रता पर निर्भर है। 'होश' ही मात्र एक कसौटी है, जो हमारे सही मार्ग को निर्धारित कर सकती है।

प्रेम पच्चीसा (भाग 9)

रोहन की आँखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई जादूगरनी का जादू उसे बाँधे हुए हो। मुंबई की इस हलचल भरी रात में, उसके छोटे से अपार्टमेंट में सिर्फ़ घड़ी की टिक-टिक और दूर से आती ट्रैफिक की आवाजें थीं। वह सोफे पर बैठा था, कॉफ़ी का मग ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी रहस्यमयी फोन कॉल के इंतज़ार में अटका हुआ था। ₹कौन होगा वो ? क्या ये वो मौका है जो मेरी ज़िंदगी बदल देगा ?" वह खुद से बुदबुदाया।

अचानक, फोन की रिंगटोन बज उठी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। रोहन का दिल धड़क उठा। उसने झिझकते हुए कॉल रिसीव की। ₹हैलो ?₹ उसकी आवाज में उत्सुकता और डर का मिश्रण था।

दूसरी तरफ से एक गहरी, रहस्यमयी आवाज़ आई, ₹रोहन जी, मैं बोल रहा हूँ राजेश मेहता, बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर। आपकी कविताएँ पढ़ीं, खासकर वो 'खोई हुई रातें' वाली। हमें एक फिल्म के लिए गीतकार चाहिए। क्या आप इंटरेस्टेड हैं ?₹

रोहन की साँसें थम गईं। ये वही मौका था जिसका वह इंतज़ार कर रहा था ! लेकिन तभी उसके मन में माया और राशि की तस्वीर उभरी। माया, जो भोपाल में अकेली राशि की परवरिश कर रही थी और राशि, जो हर शाम पापा की कहानियाँ सुनने के लिए तड़पती थी। ₹क्या मैं ये सब छोड़कर मुंबई में रह सकता हूँ ? परिवार के बिना ये सफलता का क्या मतलब ?₹ उसका अंतरद्वंद्व और गहरा हो गया। बरबस आँखों से आँसू टपक गए सोचने लगा जीवन में हर कदम पर परीक्षा है। कोई कितनी भी पढ़ाई कर ले पर परीक्षा के दिन कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल ही जाता है।

वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ₹सर, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए।₹ कॉल कट गई, लेकिन रोहन की रात अब और लंबी हो गई। अगले दिन सुबह, वह एयरपोर्ट की ओर निकला। शायद भोपाल लौटने का समय आ गया था या फिर ये कॉल उसे नई दिशा देगी ? लेकिन रास्ते में एक और इम्तहान इंतज़ार कर रहा था – माया का मैसेजः ₹रोहन, राशि बीमार है। जल्दी आओ।₹

अब रोहन के सामने दो रास्ते थेः सपनों की मुंबई या परिवार की भोपाल। क्या वह दोनों को जोड़ पाएगा, या कोई बलिदान देना पड़ेगा ? ज़िंदगी का प्रेम पच्चीसा अभी जारी है...

(क्रमश : भाग 10)

– राजेन्द्र रंजन गायकवाड
– सेवा निवृत केंद्रीय जेल अधीक्षक छ ग

ऑनलाइन मनी गेमिंग पर नियंत्रण हेतु संसद में पारित कानून स्वागत योग्य कदम - यह कानून समाज को बढ़ती नशे जैसी लत से जूझ रहे 45 करोड़ से अधिक लोगों को बचाएगा

आगरा, संजय सागर सिंह। भारत सरकार द्वारा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, २०२५ को लोकसभा में पारित किया जाना समाज और युवाओं के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। समाजसेवियों ने इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह कानून ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती नशे जैसी लत से जूझ रहे 45 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए एक राहत साबित होगा।

इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग एक डिजिटल ड्रग बन चुका है, जो युवाओं की सोच, समय और संसाधनों को निगल रहा है। यह कानून न केवल आर्थिक संरक्षण बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी संरक्षित करने का प्रयास है। सरकार का यह कदम केवल राजस्व बढ़ाने के बजाय सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में है, जो अत्यंत साहसी और दूरदर्शी निर्णय है। श्री खुराना ने यह भी कहा कि यह राष्ट्र की सुरक्षा और वित्तीय अखंडता का मामला हैं। इस कानून की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित एप्स भारतीय युवाओं को लालच देकर लुभा रहे थे, जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता के लिए भी खतरा बनते जा रहे थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला जैसे अवैध कार्यों से जुड़े इन प्लेटफॉर्म्स को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

₹यह कानून समाज को नशे जैसी लत से बचाएगा₹ - वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने बताया कि यह कानून सिर्फ एक विधायी पहल नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य देश की आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित, रचनात्मक और सकारात्मक भविष्य की ओर ले जाना है। जब खेल मनोरंजन के दायरे में रहते हैं, तब तक वे लाभकारी हैं; परंतु जब यह लालच और धन के जुए में बदल जाते हैं, तो समाज के लिए विनाश का कारण बनते हैं। भारत सरकार का यह फैसला, न केवल प्रशंसनीय है बल्कि समय की सबसे बड़ी जरूरत भी। श्री खान ने आगे बताया कि समस्या का हल केवल कानून नहीं, जागरूकता भी आवश्यक हैं। हालांकि कानून एक मजबूत शुरुआत है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समाज, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के बिना यह लड़ाई अधूरी रहेगी। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को समय पर जागरूक करें, संवाद करें और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें।

आर्थिक नुकसान और आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक : वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रवीर सिंह

विकराल होते आनलाइन गेम पर नियंत्रण कानून को बेहद सराहनीय कदम बताते हुए वरिष्ठ समाजसेवी चन्द्रवीर सिंह ने यह भी कहा कि वर्तमान में, देश के लाखों युवा ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत के शिकार हैं, जिससे हर साल लगभग २०,००० करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह आदत अब केवल जुए का रूप ही नहीं ले चुकी, बल्कि कई परिवारों को बर्बादी और आत्महत्याओं के कगार पर भी ला चुकी है। यह कानून ऐसे एप्स और उनके संचालकों पर सख्ती से लगाम लगाएगा। श्री पुष्कर ने आगे बताया कि अब केवल संचालकों को सज़ा मिलेगी और पैसे जुड़े वाले गेम, खेलने वालों को दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे ऐप्स का संचालन करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इन गेमिंग एप्स का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना होगा। विकराल होते आनलाइन गेम पर नियंत्रण का कानून बेहद सराहनीय कदम हैं।

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को मिलेगा बढ़ावा : समाजसेवी पंकज जैन

ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण विधेयक को स्वागत योग्य बताते हुए समाजसेवी पंकज जैन ने बताया कि भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह गैर-लाभकारी, शिक्षा और रचनात्मकता आधारित गेमिंग, जैसे ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए एक नए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो नियमों के पालन के साथ इन गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इस कानून के पीछे महादेव सट्टेबाजी जैसे घोटाले की पृष्ठभूमि हैं। श्री जैन ने आगे बताया कि इस कानून की जरूरत विशेष रूप से तब महसूस की गई जब 6,000 करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले ने देश को हिला दिया। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है और इसमें कई राजनेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आए हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब ऐसे ऐप्स न तो डाउनलोड किए जा सकेंगे और न ही इन्हें भारत में प्रमोट किया जा सकेगा। यह कानून आर्थिक शोषण, मानसिक तनाव और पारिवारिक विघटन जैसी गंभीर समस्याओं की रोकथाम में सहायक होगा।

विकराल होते आनलाइन गेम पर नियंत्रण का कानून बेहद सराहनीय स्वागत योग्य महत्वपूर्ण कदम - समाजसेवी राजू शर्मा

समाजसेवी राजू शर्मा ने भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना करते हुए बताया कि देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को आनलाइन गेमिंग के चंगुल से आजाद कराने के लिए यह क़ानून पारित किया गया है। एक आंकड़े के अनुसार देश में एक साल में 45 करोड़ लोगों ने २० हजार करोड़ गवां दिये हैं। समाज को बर्बाद होने से बचाना और आत्महत्याओं को रोकना है, न कि राजस्व की भी चिंता करना हैं। इस प्रकार के आनलाइन गेम ड्रग्स के नशे की तरह हैं, क्रिकेट से जुड़ा गेम खेलने वाले खुदरा निवेशकों से भी ज्यादा हैं। आज स्थिति यह है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत केवल समय और धन की बर्बादी ही नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव और विघटन का कारण बन रही है। स्कूल और कॉलेज के छात्र अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कर इस आभासी दुनिया में डूबते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग या मनी गेमिंग की बढ़ती लत सीधा-सीधा जुए एवं सट्टे के रूप में बदल जाती है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग यदि लत बन जाए तो यह संपन्न व्यक्ति एवं परिवार को भी कंगाल कर सकती है। सब कुछ गंवा कर आत्महत्या करने के मामले भी प्रकाश में आते रहे हैं। इन्हीं चिंताओं एवं त्रासद विडम्बनाओं के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण का एक विधेयक भारत सरकार लेकर आई है, यह स्वागत योग्य कदम है।

जोड़ों का दर्द, कमजोरी और वातरक्त जैसी समस्याओं के लिए असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा

आजकल की बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों के कारण शरीर में कई तरह की समस्याएँ उभरने लगी हैं, जैसे - जोड़ों का दर्द, खून की कमी, बुखार के बाद कमजोरी, बार-बार पेशाब आना, ज्यादा सर्दी लगना, कफ का अधिक बनना आदि। इन सभी समस्याओं में एक आयुर्वेदिक शक्ति वर्धक उपाय बहुत लाभकारी हो सकता है। यह नुस्खा न केवल रक्त शुद्ध करता है, बल्कि पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

यह औषधीय योग खासतौर पर वातरक्त (gout / joint inflammation) जैसी स्थितियों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें प्रयुक्त सभी घटक आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित प्रमाणित औषधियाँ हैं, जो शरीर की संपूर्ण मजबूती और ऊर्जा के लिए जानी जाती हैं।

आयुर्वेदिक चूर्ण बनाने की विधि

इस चूर्ण को तैयार करने के लिए निम्न औषधियों की आवश्यकता होगीः

सोंठ – 10 ग्राम
काली मिर्च – 10 ग्राम
छोटी पिप्पली – 10 ग्राम
हरड़ – 10 ग्राम
बहेड़ा – 10 ग्राम
आंवला – 10 ग्राम
गिलोय सत्त्व – 10 ग्राम
लौह भस्म – 10 ग्राम
मिश्री (Sugar Candy) – 30 ग्राम
शुद्ध शिलाजीत – 30 ग्राम
गाय का घी – आवश्यकतानुसार

बनाने की विधिः

सभी औषधियों को अच्छी तरह साफ करके बारीक कूट-पीसकर चूर्ण बना लें।

इसमें गाय का घी थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँ और हाथ से अच्छी तरह मसलते जाएँ ताकि यह एक लोई (डो) जैसा बन जाए।

अब इस लोई को आधा-आधा ग्राम की गोलियों में बाँट लें और काँच के बर्तन में सुरक्षित रखें।

यह गोलियाँ गर्म जगह पर न रखें, ठंडी और सूखी जगह पर ही स्टोर करें।

ध्यान देंः घी उतना ही मिलाएँ जिससे सभी औषधियाँ गूंथ जाएँ। बहुत अधिक घी ना मिलाएँ।

सेवन विधिः

इन गोलियों का सेवन दिन में दो बार शहद के साथ करें।

यदि गोली बनाना संभव न हो तो इस चूर्ण को 500 mg की खाली कैप्सूल में भरकर भी उपयोग किया जा सकता है।

इसे शहद या गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है।

किन रोगों में लाभकारी है ?
जोड़ों का दर्द
बुखार के बाद कमजोरी
वातरक्त / Gout
सर्दी-खाँसी, कफ की अधिकता
बार-बार पेशाब आना
खून की कमी (Anemia)
शारीरिक थकावट और कमजोरी

यह योग शरीर की रक्तशुद्धि (Blood Purification) करता है, पाचन को बेहतर करता है और शरीर को बल देता है।

सत्रह बैगा बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा उठाकर पायल लाठ बनी मिसाल

बच्चों की पढ़ाई में हरसम्भव मदद करूंगाः विधायक सुशांत
पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की अभिनव पहल

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हुए पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन ने एक सराहनीय पहल की है। फाउंडेशन ने मोहन्ती गर्ल्स स्कूल में एक प्रेरणादायक व भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन कर स्कूल की 17 बच्चियों की शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लेने की घोषणा की।

कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मुख्य अतिथि, विजय अग्रवाल व सुशील अग्रवाल विशिष्ट अतिथि और आशा अग्रवाल और पूनम श्रीवास्तव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुशांत शुक्ला के हाथों बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी किताबें भेंट की गईं। पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका पायल लाठ ने कहा कि गोद ली बच्चियों की क़िताबें, फीस और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताएँ फाउंडेशन द्वारा पूरी की जाएंगी। इस मौके पर विधायक शुक्ला ने कहा कि मै हर बच्चे की शिक्षा में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। फाउंडेशन ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए श्रीराम फाउंडेशन, विशाल बजाज, लोकेश ठक्कर एवं राहुल अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में प्राचार्य अंजना लाल, प्राची बरगाह, अनिल जेम्स, एन्न लदेर, एच मसीह, एएफ हाश्मी, एस कटारे, एमके वर्मा, पायल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह राजपूत, सचिव चंचल सलूजा एवं अप्पू केशरी विशेष रूप से उपस्थित थे।

संस्था द्वारा बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने से लेकर उनकी फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई से जुड़ी हर जरूरत पूरी की जाएगी। फाउंडेशन की अध्यक्ष पायल लाठ ने कहा कि "शिक्षा ही ऐसा साधन है जो किसी भी बच्चे का भविष्य बदल सकता है। हमारा प्रयास है कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित न हो।"

इस आदेश से पुलिस की पावर बढेगी.और कोर्ट में उससे जिरह नहीं हो सकेगी, जो न्याय प्रणाली को

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधिकारी को थाने से ही गवाही देने की अनुमति देने वाली उपराज्यपाल की अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है। ''आप'' दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी साहब के इस बेतुके फरमान ने पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है। यह पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है। अब पुलिस अधिकारी थाने में बैठ कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकेंगे। इसके विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही पुलिस पर सरकार के दबाव में झूठे मुकदमें दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं। अब पुलिस की मनमानी और बढ़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार एससोएशिन ने भी इसका विरोध किया है और एलजी से आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

आम आदमी पार्टी के एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार समेत अन्य वकीलों के साथ पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब ''आप'' एडवोकेट विंग ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों पर केंद्र सरकार से बातचीत भी हुई थी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने लिखित आश्वासन दिया था कि कोर्ट के साक्ष्य को पुलिस थाने से नहीं दे सकते। इसके बावजूद 13 अगस्त को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक नोटिफिकेशन लेकर आए, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वह अपने थाने में बैठ कर बयान दर्ज कराएगा। यह सीधे तौर पर कानून का मजाक है, अवैध है, मनमाना है, गैर कानूनी है। यह नोटिफिकेशन पूरी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाला है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस पर बहुत आरोप लग रहे हैं कि वह झूठे मुकदमें बनाती है, सरकार के दबाव में झूठे मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। वकील समाज के लिए खड़े होकर पुलिस से जिरह करके कोर्ट के सामने यह निकालते हैं कि बयान गलत है। अब अगर पुलिस अधिकारी थाने में बैठा होगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने उसका बयान दर्ज दर्ज होगा तो शपथ कहां कराएंगे? वकील पुलिस अधिकारी से जिरह कैसे करेंगे? अगर वकील ने कोई तीखा प्रश्न पूछ लिया और पुलिस अधिकारी की पूरी गवाही खराब हो रही है तो वह कैमरा बंद कर देगा और कहेगा कि इंटरनेट चला गया। फिर अगली सुनवाई में तैयारी करके आएगा। यह अधिसूचना पूरी तरह से व्याय व्यवस्था का मजाक है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी एलजी साहब ने पुलिस थानों के लिए अधिसूचना जारी की है, कल को सीबीआई-ईडी के लिए भी अधिसूचना जारी कर देंगे कि वह अपने दफ्तर में बैठ कर गवाही देंगे। फिर वो भी पूरे मामले में हेरफेर करेंगे। एलजी की इस अधिसूचना के खिलाफ जिला न्यायालय ने तीन दिन की हड़ताल की थी। यह हड़ताल सोमवार तक रहेगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास करके हड़ताल का समर्थन करते हुए एलजी से अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अधिसूचना वापस लेने की मांग की है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है, जिसका इन्होंने नुकसान नहीं किया हो। सरकार में आते ही भाजपा ने मिडिल क्लास पर हमला किया और सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ गई। रोज घंटों बिजली कटने लगी। डॉक्टरों के साथ भाजपा के विधायक मारपीट कर रहे हैं और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। अब वकीलों को परेशान कर रहे हैं। इस अधिसूचना के खिलाफ पूरी दिल्ली के जिला न्यायालय हड़ताल पर हैं लेकिन इसे मीडिया में कवरेज भी नहीं मिल रही है।

संजीव नासियार पिछले 10-11 साल से आजाद भार के अंदर सभी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। जब बीएनएस के नाम पर कानून बने थे तो वकीलों ने भारी विरोध किया था। बीएनएस के खिलाफ पूरी दिल्ली की अदालतों में हड़ताल हुई थी। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने मीटिंग बुलाई। दिल्ली बार काउंसिल में निर्वाचित सदस्य होने के नाते मैं खुद भी उस मीटिंग में मौजूद था। मीटिंग में गृहमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, उस पर विचार करेंगे और बाद में गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई भी गवाही कोर्ट में होगी। पुलिस अधिकारी अपने थाने या अन्य जगहों से गवाही नहीं दे सकता है।

उन्होंने कहा कि वकीलों को बीएनएस के दूसरे प्रावधानों पर आपत्ति थी। बीएनएस कानून आने के बाद पुलिस की शक्तियां बढ़ गई हैं। आम जनता के अधिकारों को छीना गया है। वकीलों के पास कोर्ट के अंदर पीड़ति को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी होती है और न्याय के अंदर ये बाधाएं हैं। एलजी की अधिसूचना के बाद पुलिस के पास इस स्तर पर पावर चली जाएगी कि थाने में बैठ कर गवाही दे सकेगी। जब तक गवाह को कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, एक न्यायाधिकारी के सामने उससे जिरह नहीं होगी, शपथ नहीं होगी तो न्याय प्रणाली कमजोर होगी। यह अधिसूचना न्याय प्रणाली को कमजोर करने की साजिश है।

संजीव नासियार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में एक आम आदमी पुलिस से खुद को सुरक्षित महसूस करता था और महंगाई से भी राहत थी। अब भाजपा की सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पूरे देश में कानून को बदला जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली की कानून बिरादरी सड़क पर है। ''आप'' लीगल विंग वकीलों की इस हड़ताल को पूरी ताकत देगी और अधिसूचना वापस लेने के लिए भारत सरकार और एलजी को मजबूर करेंगे।

दिल्ली की रामलीला कमेटी को निशुल्क बिजली दे सरकार

मुख्य संवाददाता

श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि हज एवं कावड़ की तर्ज पर दिल्ली की रामलीला कमेटी को निशुल्क बिजली, मोबाइल टॉयलेट, आर्थिक सहयोग दिया जाए। अर्जुन कुमार ने यह भी बताया कि मुगल काल से दिल्ली की रामलीलाओं को सभी सुविधा निशुल्क मिलती रही हैं, आज भी रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला को दिल्ली नगर निगम बिजली, पानी अन्य सभी सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराता है। प्रभु श्री राम की लीलाओं में बहुत आस्था है, जो सदियों से चली आ रही है न केवल दिल्ली पूरे विश्व के अंदर रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। रामलीलाए हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं।

श्री रामलीला महासंघ के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि रामलीला मंचन समारोह 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, दशहरा पर 2 अक्टूबर को पूरे देश में संपन्न होगा। प्रभु श्री राम की रामलीला पूरे उत्साह से भव्य होगी। रामलीला केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है जो मर्यादा, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द और एकता के देती हैं, रामलीला के मंचन से लोग प्रभु राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेते हैं और अपने बच्चों को भी उत्तम संस्कार प्रदान करते हैं। सरकार सहयोग देगी, तो आने वाले समय में प्रभु राम के आदर्शों का प्रचार-प्रसार और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा, जिससे समाज में प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का वातावरण और मजबूत होगा।

परम और उसकी सुंदरी के साथ दिल्ली में एक दिन की सैर!

मुख्य संवाददाता

दिल्ली में प्यार, ऊर्जा और जश्न का माहौल देखने को मिला जब सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर अपनी आगामी फिल्म परम सुंदरी के प्रचार के लिए राजधानी में धूम मचाने आए।

परम और सुंदरी ने प्रतिष्ठित बंगला साहिब गुरुद्वारे में दिव्य आशीर्वाद लिया और आगे की यात्रा के लिए एक आध्यात्मिक माहौल तैयार किया।

दिल्ली की कोई भी यात्रा वहाँ के खाने का आनंद लिए बिना पूरी नहीं होती, और सिद्धार्थ-जान्हवी ने इसका पूरा ध्यान रखा। दोनों ने असली छोले-भटूरे का लुत्फ़ उठाया और इंडिया गेट पर कैंडी फ्लॉस का मज़ा भी लिया, जिससे उनकी मस्ती ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

शाम अपने चरम पर पहुँच गई जब परम और सुंदरी दिल्ली के प्रतिष्ठित थिएटर पहुँचे, जहाँ ढोल के साथ उनका पंजाबी अंदाज़ में स्वागत किया गया। सिद्धार्थ और जान्हवी ने परदेसिया और इस सीज़न के चार्टबस्टर गाने

डेंजर पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से मंच पर समां बाँध दिया, जिससे प्रशंसक दीवाने हो गए। जब सितारे प्यार, हँसी और पागलपन में डूबे हुए थे, तो दर्शक बेकाबू होकर लगातार तालियाँ बजा रहे थे, और इस अविस्मरणीय रात में दिल्ली की आत्मा को कैद कर रहे थे।

प्रशंसकों का दिल जीत लेने के बाद, साल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी के लिए मंच तैयार है। दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स की फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

भाजपा सरकार का 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' दिलाने का अभियान सिर्फ फोटो शूट तक सीमित रह गया है- अंकुश नारंग

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने शनिवार को सिविल लाइन जोन के वार्ड 14 धीरपुर और वार्ड 7 कादीपुर में जगह-जगह बन रहे कूड़े के पहाड़ का दौरा किया और दिल्ली में बढ़ती गंदगी को लेकर भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि निरंकारी समागम ग्राउंड में भी कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, जहां पीएम की रैलियां होती हैं। मेयर तो सिविल लाइन जोन के चेयरमैन रह चुके हैं। वो जब अपना घर नहीं साफ कर सकते तो दिल्ली की सफाई क्या करेंगे? कुल मिलाकर भाजपा सरकार का 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' दिलाने का अभियान सिर्फ फोटो शूट तक सीमित रह गया है। इस अवसर पर ''आप'' के स्थानीय पार्षद नेहा अग्रवाल, गगन चौधरी, मुनेश देवी, टिंम्सी शर्मा, रूबी रावत, प्रदीप अग्रवाल, अजय शर्मा, सुरेश शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

अंकुश नारंग ने निरंकारी ग्राउंड का निरीक्षण के दौरान कहा कि यह वही निरंकारी ग्राउंड है, जहां बड़े-बड़े समागम और प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं, लेकिन अब यहां कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल सिंह के लिए नारियल और फूल माला लाया हूं, ताकि वे आकर इस कूड़े के पहाड़ का उद्घाटन करें। भाजपा को फीता काटने और नारियल फोड़ने का शौक है, लेकिन न तो दिल्ली सरकार में और न ही एमसीडी में गवर्नेंस करना आता है।

अंकुश नारंग ने बताया कि निरंकारी ग्राउंड में कूड़ा, मलबा और सिल्ट का ढेर जमा है। यहां कूड़े का ढेर एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड मिलकर डाल रहे हैं। भाजपा का "दिल्ली को कूड़े से आजादी" अभियान कागजी और दिखावटी है। यह अभियान 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिविल लाइंस जोन में मजलिस पार्क, वजीराबाद के रामघाट, अब निरंकारी ग्राउंड समेत कई अन्य जगहों पर कूड़े के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। सिविल लाइंस जोन से मेयर राजा इकबाल सिंह आते हैं, वहां उनके घर से सिर्फ दो किमी दूर यह तीसरा कूड़े का पहाड़ है।

अंकुश ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन चार इंजन की सरकार के बावजूद दिल्ली में कूड़े की समस्या बढ़ती जा रही है। भाजपा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल सिंह को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि उनकी नाकामी की वजह से दिल्ली कूड़े के पहाड़ों में तब्दील हो रही है।

उधर, कादीपुर इलाके में वार्ड नंबर सात का दौरा करने के दौरान अंकुश नारंग ने कहा कि पूरे सिविल लाइंस जोन में कूड़े के ढेर लगे हैं और यह स्थिति सिर्फ "आप" पार्षदों के वार्डों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जोन में गंदगी फैली हुई है। मेयर राजा इकबाल सिंह और भाजपा पार्षद गुलाब सिंह राठौर के वार्डों में भी यही हालात हैं। अंकुश ने भाजपा से आत्ममंथन की मांग की और कहा कि राजा इकबाल सिंह जैसे "डमी व्यक्ति" को मेयर बनाना गलती थी, जिनमें अपने जोन को सुधारने की काबिलियत तक नहीं है। अगर वे अपने जोन को नहीं सुधार सकते, तो पूरी दिल्ली में क्या बदलाव लाएंगे?

गीतांजलि फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिशन सिंदूर वीरता पुरस्कार 2025 ने समाज को दी एक नयी चुनौती

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पिछले 15 वर्षों से सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर रही गीतांजलि फाउंडेशन की अध्यक्षा अर्चना झा ने इस बार एक नए अंदाज़ में अपनी विशेष पहचान बनाई। फाउंडेशन ने भव्य और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति का अनोखा संगम प्रस्तुत किया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि "गीतांजलि फाउंडेशन जैसे संस्थान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। संस्कृति और परंपरा से जुड़े ऐसे आयोजन समाज को नई दिशा और प्रेरणा देने वाले होते हैं।

कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्री जितेन्द्र सिंह शुंटी, पूर्व विधायक, दिल्ली विधानसभा ने भी उपस्थिति दर्ज कराई और फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की।

इस कार्यक्रम में ईगल स्पेशल एबल टीम सहित

समाज के कई बच्चों और बड़ों ने मंच पर अपनी अद्भुत प्रस्तुतियाँ दीं। विभिन्न नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।यह आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि समाज में समरसता, प्रेरणा और संस्कृति की गहराई को स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास भी साबित हुआ।

मुख्य अतिथी - मा. रामदासजी आठवले साहेब. सामाजिक न्याय मंत्री भारत सरकार. पदमश्री जितेंदर सिंह शंटी, विजयलक्ष्मी, मॉडेल एवम सिलिब्रिटी. आस्था माँ - हिंद शेरनी,.आंतरराष्ट्रीय महामंडलेश्ववर किन्नर आखाडा स्वामी डॉ.वैष्णवी जगदंबा नंदगिरी, महामंडलेशवर ओमेगा नंदगिरी महाराज, सोनिया चौहान , महामंडलेशवर अवधेश आनंदजी, जैन समाज सेविका, परमपूज्य बाबा हरिदासजी महाराज, कथा वाचक कृष्ण कुमार शास्त्री, पॅरा टेनिस प्लेअर जितेंद्र कुमार गुप्ता, मेकअप आर्टिस्ट सुमन & उनके सहयोगी, सचिन रणसिंग, सामाजिक कार्यकर्ता एवंम पत्रकार महाराष्ट्र प्रोग्राम में शामिल हुए और प्रोग्राम में सभी सहभागियों के हौसले को भी बढ़ाया

गीतांजलि टीम से

संतोष. कुमार , पवन कुमार , मनोज, रोहित, राहुल, राजू, महेश कुमार, डॉ. कुसुम, रिया, जफर, जूली , ज्योति, सविता, ममता, बांगा दीदी, रितेश, भँवर सिंह. की बहुत अहम भूमिका रही।

झूठे मुकदमों का कारोबार और वकीलों की जवाबदेही

"जब न्याय के प्रहरी ही अपराधी बन जाएँ, तो कानून की आस्था कैसे बचे?"

झूठे मुकदमे केवल निर्दोषों को पीड़ा नहीं देते, बल्कि न्याय तंत्र की नींव को भी हिला देते हैं। जब वकील ही इस व्यापार में शामिल होते हैं तो वकालत की गरिमा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता दोनों पर गहरा आघात होता है। ऐसे वकीलों पर आपराधिक मुकदमे चलना अनिवार्य है ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। न्याय केवल किताबों में दर्ज प्रावधान नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। यह आस्था तभी बची रहेगी जब न्याय के प्रहरी – वकील और अदालत – स्वयं अपने आचरण से पारदर्शिता और ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

-डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव सत्य और न्याय पर आधारित है। न्यायालय को हमेशा से समाज का सबसे बड़ा सहारा माना जाता रहा है। जब अन्याय पीड़ित व्यक्ति हर दरवाज़े पर ठोकर खाकर थक जाता है, तब उसे अदालत से ही उम्मीद रहती है। लेकिन यह उम्मीद तब कमजोर पड़ जाती है जब न्याय का सहारा बनने वाले लोग ही उसे अपने स्वार्थ और लालच का साधन बना लेते हैं। हाल ही में लखनऊ की अदालत ने एक वकील परमानंद गुप्ता को 29 झूठे मुकदमे दर्ज कराने के अपराध में उम्रकैद और पाँच लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह फैसला एक उदाहरण है कि न्यायपालिका कानून का दुरुपयोग करने वालों को बख्शेगी नहीं। यह केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं है, बल्कि पूरे समाज और न्यायिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है कि कानून का मज़ाक उड़ाने वालों की कोई जगह नहीं।

वकील पेशे को समाज में हमेशा सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। वकील को केवल मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि न्यायालय का अधिकारी भी माना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन जब वही वकील झूठे मुकदमों का निर्माण करने लगे, निर्दोषों को फँसाने लगे, और अपने पेशे का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या आर्थिक लाभ के लिए करने लगे, तो यह न केवल उसकी आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि पूरे पेशे की गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न है। एक वकील जो अदालत में सत्य का पक्षधर होना चाहिए, अगर असत्य का सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो समाज में न्याय की कोई गारंटी नहीं रह जाती।

झूठे मुकदमों का असर केवल आरोपित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह उसके परिवार, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति तक को झकझोर देता है। वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत जुटाने पड़ते हैं और मानसिक यातना अलग से झेलनी पड़ती है। समाज भी ऐसे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और धीरे-धीरे कानून और अदालत पर से विश्वास उठने लगता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि न्याय पर से भरोसा खत्म होना किसी भी समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है।

झूठे मुकदमों की समस्या यह भी है कि यह असली पीड़ितों के मामलों को कमजोर करती है। जब कोई कानून, जैसे एससी-एसटी एक्ट, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, झूठे मुकदमों में इस्तेमाल किया जाता है तो वास्तविक पीड़ितों की आवाज़ दब जाती है। अदालतों को यह तय करने में अधिक समय लग जाता है कि कौन-सा मामला सच है और कौन-सा झूठा। नतीजा यह होता है कि असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देर होती है और उनका दर्द बढ़ जाता है।

इसलिए आज आवश्यकता है कि झूठे मुकदमे गढ़ने वाले और उन्हें अदालत में आगे बढ़ाने वाले वकीलों पर कठोरतम कार्रवाई हो। यदि कोई डॉक्टर लापरवाही करता है, तो उस पर केस चलता है। यदि कोई इंजीनियर खराब निर्माण करता है तो उसे दंडित किया जाता है। तो फिर वकील, जो न्याय के प्रहरी हैं, यदि झूठे मुकदमों का व्यापार करें, तो उन्हें भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने जैसी धाराओं में दंडित किया जाना चाहिए। उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए और बार काउंसिल को उनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए।

यह केवल कानून की सख्ती का मामला नहीं है, बल्कि वकालत के पेशे की मर्यादा का प्रश्न है। जब तक झूठे मुकदमों के निर्माण और संचालन में शामिल वकीलों पर मुकदमे नहीं चलेंगे, तब तक यह कुप्रथा बंद नहीं होगी। अदालतें जितनी कठोर सज़ा देंगी, उतना ही यह संदेश समाज में जाएगा कि कानून का दुरुपयोग करने वालों की कोई जगह नहीं।

न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए आवश्यक है कि कानून में ऐसे प्रावधान हों जिससे झूठे मुकदमों की पहचान होने पर तुरंत कार्रवाई हो। वकीलों की जवाबदेही तय करनी होगी। अगर यह साबित हो कि किसी वकील ने जानबूझकर मुवक्किल को झूठे मुकदमे के लिए उकसाया, तो उस पर केवल पेशेवर कार्रवाई न हो बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। इस कदम से न केवल निर्दोष लोगों की रक्षा होगी बल्कि वकालत का पेशा भी अपने वास्तविक उद्देश्य – न्याय की सेवा – के लिए जाना जाएगा। आज लखनऊ की अदालत का फैसला पूरे देश के लिए मिसाल है। इसने साबित किया है कि न्यायालय केवल आरोपी और अपराधी के बीच निर्णय करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की पवित्रता को भी सुरक्षित रखने वाला प्रहरी है। यदि वकील अपने कर्तव्य से भटकेंगे, तो वे भी अपराधी की श्रेणी में आएँगे और उन्हें उसी प्रकार दंड मिलेगा जैसे अन्य अपराधियों को मिलता है।

अब समय आ गया है कि समाज और न्यायपालिका दोनों मिलकर वकालत के पेशे को अपराध का साधन बनने से बचाएँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चाहिए कि वह वकीलों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करे और झूठे मुकदमों में लिप्त पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस रद्द करे। अदालतों को चाहिए कि वे ऐसे मामलों की सुनवाई तेज़ी से पूरी करें ताकि न्याय केवल होता हुआ नज़र ही न आए बल्कि सही समय पर मिले भी।

वकीलों को भी आत्ममंथन करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि उनका पहला कर्तव्य केवल मुवक्किल की जीत नहीं बल्कि न्याय की जीत है। यदि इस सोच को अपनाया जाए तो न्यायालय में पेश होने वाला हर वकील समाज की नज़रों में वास्तविक प्रहरी होगा, न कि अपराध का भागीदार। न्याय केवल कागज़ों पर लिखा शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। और यह आस्था तभी बनी रहेगी जब न्याय के रक्षक भी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

झूठे मुकदमों से केवल अदालतों का बोझ नहीं बढ़ता बल्कि समाज का विश्वास भी टूटता है। निर्दोष लोग जब सालों तक जेलों में सड़ते हैं, तब उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उनकी मासूम ज़िंदगियाँ खत्म हो जाती हैं। ऐसे समय में अदालतों से सख्त और स्पष्ट संदेश मिलना ही समाज को यह विश्वास दिलाता है कि न्याय जीवित है और उसकी रक्षा की जा रही है।

लखनऊ का फैसला इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल एक अपराधी वकील को दंडित करने का मामला है बल्कि पूरे देश को यह चेतावनी है कि झूठे मुकदमे गढ़ने और चलाने वालों के लिए अब जगह नहीं बची है। यह संदेश हर उस वकील को याद दिलाना चाहिए जो कभी भी असत्य के रास्ते पर जाने का प्रयास करेगा। कानून और अदालत किसी के भी दबाव या छलावे में नहीं आने वाले।

इसलिए ज़रूरी है कि इस फैसले को समाज एक आदर्श की तरह देखे और इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाए। वकीलों को भी चाहिए कि वे इस घटना से सीख लें और यह संकल्प लें कि वे अपने पेशे की गरिमा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। तभी न्याय वास्तव में न्याय कहलाएगा और अदालतें आम आदमी के लिए भरोसे का सबसे बड़ा आधार बन सकेंगी।

बिहार बना देश का पहला राज्य जिसमें यूनाइटेड किंगडम (यूके) के कैंब्रिज स्थित प्रतिष्ठित संस्था एस्ट्रोसाइज एवं टीचर्स ऑफ़ बिहार के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के अवसर पर बच्चों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम "एस्ट्रोसाइज जूनियर"

परिवहन विशेष न्यूज

पटना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर बिहार के बच्चों को विज्ञान और स्वास्थ्य के संगम का नया अनुभव देने के उद्देश्य से ‘एस्ट्रोसाइज जूनियर’ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ‘टीचर्स ऑफ बिहार’ और यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित संस्था ‘एस्ट्रोसाइज’ के संयुक्त प्रयास से यह आयोजन न केवल विज्ञान के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाया, बल्कि उनके स्वस्थ भविष्य की नींव भी रखा।

इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 अगस्त 2025 को शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण से हुई जिसमें बिहार के सरकारी विद्यालयों के सैंकड़ों शिक्षक भाग लिए। तत्पश्चात प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर अपने-अपने विद्यालयों के बच्चों के बीच चेतना सत्र में अंतरिक्ष-प्रेरित फिटनेस सत्र आयोजित किया।

चेतना सत्र में आयोजित फिटनेस सत्र के बाद ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सैंकड़ों बच्चों के बीच ‘एस्ट्रोसाइज जूनियर’ कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्रियों की फिटनेस गतिविधियां बच्चों के लिए सरल व मजेदार रूप में प्रस्तुत की गई। इस कर्मक्रम को संबोधित करते हुए यूके स्थित प्रतिष्ठित संस्था एस्ट्रोसाइज की संस्थापक सह एस्ट्रोसाइज न्यूरो रीहैब एवं स्ट्रोक ई.एस.डी. विशेषज्ञ, एन.एच.एस. (यूके), अंतरिक्ष स्टेशन राजदूत, (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रयोगशाला, संयुक्त राज्य अमेरिका) गरिमा गेडामकर ने कहा कि "हमारा लक्ष्य है कि बच्चे विज्ञान व फिटनेस को केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकें।

ऑनलाइन माध्यम से जुड़े बिहार के बच्चों ने भी अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष यात्री के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। बच्चों ने कई तरह के सवाल पूछे जिसमें अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं? वहां कैसे रहते हैं? कैसे खाते हैं? खाद्य सामग्री अंतरिक्ष स्टेशन में कैसे जाता है? अंतरिक्ष स्टेशन में अपने आप को फिट रखने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के और कैसे-कैसे व्यायाम करते हैं? अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के लिए क्या-क्या मापदंड निर्धारित हैं? अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आने पर उनकी दिनचर्या कैसी होती है? सवाल प्रमुख थे।

टीचर्स ऑफ़ बिहार टेक्निकल टीम लीडर ई. शिवेंद्र प्रकाश सुमन ने बताया की कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में टीम वर्क, अनुशासन, आत्मविश्वास और विज्ञान-प्रेरित सोच का विकास करना है। कार्यक्रम के मॉडरेटर एवं टीचर्स ऑफ बिहार के संस्थापक शिव कुमार ने बताया की "हमारा सपना है कि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन, स्वास्थ्य और विज्ञान की सोच पहुंचे। 'एस्ट्रोसाइज जूनियर' सिर्फ फिटनेस ही नहीं, बल्कि बच्चों में अंतरिक्ष के प्रति लगन और वैज्ञानिक सोच को भी पैदा करेगा। भविष्य की पीढ़ी जब मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होगी, तभी बिहार और देश दोनों विकसित होंगे।"

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन मे टीचर्स ऑफ़ बिहार के इवेंट लीडर केशव कुमार का सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह निःशुल्क था जिसमें बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालयों के बच्चे भाग ले सकते थे।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को 'एस्ट्रोसाइज, यूके' एवं टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। वही इस अवसर पर शपथ लेने वाले बच्चों को भी शपथ पत्र प्रदान किए जाएंगे।

लालकिले से प्रधानमंत्री का वेश धर बोले ‘स्वयंसेवक’ का विभाजनकारी उद्घोष

(आलेख : बादल सरोज)

स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से दिए जाने वाले परंपरागत भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 2025 की 15 अगस्त का भाषण अब तक के हुए, खुद उनके भाषणों सहित, सभी भाषणों की तुलना में निराशाजनक ही नहीं, चिन्ताजनक भी था। आजादी के बाद से ही देश की जनता 15 अगस्त को दिए जाने वाले भाषण का इंतज़ार करती है। इस एक साल में देश जिन अब तक कभी न देखे दिनों से गुजरा है, उन्हें देखते हुए इस बार इन्तजार कुछ ज्यादा ही था। मगर 103 मिनट तक लगातार बोलकर अब तक के सबसे लम्बे भाषण का रिकॉर्ड बनाने के बाद भी इसमें ठीक वही नहीं था, जिसे देश और दुनिया में बैठे भारतीय सुनना चाहते थे।

पहलगाम की आपराधिक विफलता पर देश जो जानना चाहता है, वह नहीं था ; युद्धविराम को लेकर 34 बार किये गये अमरीकी राष्ट्रपति के दावे और टैरिफ के नाम पर हर रोज दी जा रही धमकी से दुनिया में बन रही भारत की हास्यास्पद और ट्रम्प से डरने वाले देश की छवि के प्रतिवाद में जो सुनना चाहता है, उसका एक शब्द भी नहीं था, मोदी राज में अपनाई गयी दिवालिया और संकीर्ण विदेश नीति के चलते शुरू हुए पड़ोसी देशों से मनमुटाव के चौड़ा होते-होते लगभग दुराव तक पहुँच जाने और दुनिया भर के सारे परम्परागत मित्र देशों के साथ अलगाव के बढ़ते जाने पर कोई टिप्पणी तक नहीं थी, जिस गज़ा पर हाल के सप्ताहों में दुनिया भर में करोड़ों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, उस परम्परागत मित्र फिलिस्तीन में किये जा रहे अमरीका संरक्षित इजरायली नरसंहार की निंदा पर बोल तक नहीं था, खुद के चुनाव की वैधता पर उठे सवाल सहित लोकतंत्र के साथ किये जा रहे छल और धोखे के सप्रमाण उजागर होने से देश की जनता में उभरती बेचैनी को दूर करने की झलक तक नहीं थी, अतिवर्षा से आयी बाढ़ में बर्बाद हुए भारतीयों के लिए चुटकी भर राहत की घोषणा नहीं थी, पिछले 11 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़कर बढ़ी बेरोजगारी से बाहर आने, किसानों, मजदूरों और मध्यवर्गी भारतीयों को उनकी दिनों-दिन बढ़ती दुश्वारियों से उबारने का कोई संकेत तक नहीं था। हमेशा की तरह यदि कुछ था, तो शुरु से आखिर तक मैं, मैं और मैं का आत्मालाप था।

देश के प्रधानमंत्री का सालाना भाषण आमतौर से इस बीच हासिल उपलब्धियों को गिनाते हुए आत्मविश्वास पैदा करने और देश के समक्ष दरपेश चुनौतियों और उनके संकटों में बदलने की आशंकाओं के बारे में सचेत करता है। इन सबसे जूझने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है, उस जनता – समूची जनता -- की एकता को मजबूत करता है। दरारों को मूंदने, विग्रह की खाईयों को पाटने के कदम उठाता है। मगर पिछले 27 महीनों से मणिपुर में जारी हिंसा और लगभग गृहयुद्ध जैसी अफसोसनाक स्थिति पर इस भाषण में कुछ नहीं था। बिहार में कथित गहन पुनरीक्षण के बहाने मतदाता सूची से उड़ाये जा रहे जीते-जागते नामों को मार डालने से उपजी जायज बेचैनी से लेकर नस्ल और जाति, करणी और उच्चवर्णी सेनाओं द्वारा देश भर में मचाये जा रहे उत्पात पर कुछ नहीं था। जो बोला गया वह ‘संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत’ के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था ; संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र से ऐलानिया बैर रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक का भाषण था। अपने संबोधन के समापन वाले हिस्से में उनका यह आव्हान कि किसी "षड्यंत्र के तहत, सोची-समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है .... यह घुसपैठिए, मेरे देश के नौजवानों के रोजी-रोटी छीन रहे हैं...... मेरे देश की बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ... यह घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं..." बहुत ज्यादा संगीन निहितार्थों से भरा है। एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए इस मिशन के द्वारा "भारत पर मंडरा रहे भीषण संकट" को मुख्य चिंता बताते हुए समय सीमा में इससे निबटने का एलान भी कर दिया। इस तरह स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के लिए देश की वास्तविक समस्याएं, समस्याएं नहीं है, असली संकट देश के "घुसपैठियों और बाहरी" लोगों के हवाले हो जाने की है। कमाल की बात यह है कि इस ‘भयानक संकट’ की बात वह प्रधानमंत्री कर रहा था, जो खुद पिछली पूरे 11 बरस से सत्ता में है। विग्रह और विभाजन में सुख देखने वाले विकृत सोच के लिए ही भारत की डेमोग्राफी – जनसांख्यिकी – चिंता और संकट की बात हो सकती है। असल में तो यह देश की ताकत है ; दुनिया में सबसे युवा आबादी वाला देश होना अपार संभावनाओं से भरी शक्ति और सामर्थ्य वाला देश होना होता है। जहां लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, वहां कोशिशें इस बात की होनी चाहिए कि इस युवतर मानव शक्ति को एक अवसर मानकर उसे इस तरह नियोजित करने की योजनायें बनाई जाएँ कि चौतरफा विकास हो सके। मगर जनसांख्यिकी को इस नजरिये से देखने की बजाय उसे विभाजनकारी मंतव्य के साथ रखना और वास्तविक संभावना की बजाय एक आभासीय आशंका बताना मोदी जी के कुनबे के साम्प्रदायिक दुष्प्रचार का आजमाया हुआ फंडा है ; इसे पिछले एक सौ साल से आरएसएस वापरता रहा है, इस बार इसे प्रधानमंत्री का वेश धरकर आये स्वयंसेवक ने लालकिले पर चढ़कर कहा है।

इस खेल के पीछे के इरादे को समझने के लिए भाषा की गतिशीलता पर नजर डालना उपयोगी होगा। जैसे भाषा जड़ नहीं होती, वैसे ही शब्द हमेशा एक अर्थ में नहीं रहते। वे भावों के मामले में रूप यहाँ तक कि अर्थ भी बदलते रहते हैं। कभी बहुत लम्बे समय तक सर्वनाम की तरह उपयोग में लाये गए शब्द संज्ञा भी बन जाते हैं। कई बार किसी ख़ास तरह के आचरण के आधार पर स्वयं जनता अपने विवेक से ऐसा कर देती है, जैसे ‘भक्त’ और ‘फेंकू’ या ‘गोदी मीडिया’ के इन दिनों प्रचलित भावार्थ हैं। भाषा यदि प्रतिरोध और उसके लिए एकजुट करने, होने का हथियार है, तो शोषकों द्वारा अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए शोषितों के दिमाग को कब्जाने और उनके बीच विभाजन करने का जरिया भी है। इस धतकरम के लिए विशेष इरादे के साथ योजना बनाकर शब्दों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। शब्द कुछ और होता है, इस्तेमाल कहीं और निशाना साधने के लिए किया जाता है। भारत के इतिहास में इस तरह के कई उदाहरण है। आर्यों द्वारा यहाँ पहले से रहने वालो के लिए असुर, अनार्य, दास आदि शब्दों का इस्तेमाल और उसके बाद आये वर्णाश्रमी समाज में कथित रूप से नीचे बताये गए वर्ण और जातियों और सारी की सारी स्त्रियों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले शब्द संबोधनों को तिरस्कार और अपमान के पर्यायवाची बना दिया जाना इसी प्रवृत्ति की मिसालें हैं। ठीक यही बर्ताव आरएसएस ने अपनी साम्प्रदायिक सोच के साथ इन दो शब्दों ‘घुसपैठिया’ और ‘बाहरी’ के साथ किया है। कथित बंगलादेशी घुसपैठियों के नाम पर देश भर में बांग्लाभाषी भारतीय मुसलमानों के साथ की जा रही गुण्डई सबके सामने है। इसमें ‘आदिवासियों की जमीन और बहू बेटियाँ छीन लेने’ की वह नितांत बेहूदा बात, जो भाजपा के शीर्षस्थ नेता के नाते झारखण्ड के चुनाव अभियान में बोली थी, उसे लालकिले से प्रधानमंत्री के रूप में बोलकर स्वयंसेवक प्रधानमंत्री ने कथित डेमोग्राफी सुधारने की परियोजना के निशाने पर मुसलमानों के साथ ईसाइयों को भी ले लिया है।

यह सरासर निर्लज्ज बयान, वह भी इतने उच्चतम स्तर से तब दिये जा रहे है, जब 11 वर्ष से सरकार में होने के बावजूद पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के आने का कोई आंकडा किसी के पास नहीं है ; न रॉ के पास है, न आईबी के पास, न सेना के पास, न अमित शाह जिस कुर्सी पर डटे हैं, उनके गृह मंत्रालय के पास!! यह सिर्फ और केवल रयूमर स्प्रेडिंग सोसायटी – आर एस एस – का वैसा ही मनगढ़ंत झूठ है, जैसा हिन्दू आबादी के अल्पसंख्यक हो जाने को लेकर बोला जाता है।

यह सचमुच हैरत की बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने और अपने विचार-कुटुंब का संविधान विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए स्वतन्त्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन का इस कदर दुरुपयोग करे और अपनी ही आबादी में दुश्मन तलाशने का आव्हान करे। हालांकि यह कोई नया कारनामा नहीं है ; ठीक यही काम, जिन्हें ये कुनबा अपना प्रेरणास्रोत और आदर्श मानता है, उस हिटलर द्वारा किया जा चुका है, उसके हिसाब से पहले यहूदी राष्ट्र के लिए ख़तरा थे, बाद में बात और आगे बढ़कर जर्मन आर्यों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया को दोयम दर्जे का मनुष्य बनाने तक पहुंची। इस बीच में आज जिसे संयुक्त राज्य अमरीका कहते हैं, वहां के मूल निवासियों के कत्लेआम से शुरु हुई, फिर काले, भूरे, पीले रंगीन इंसानों को ‘बाहरी’ बनाने तक पहुंची। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, रवांडा से युगांडा तक कुछ और सिरफिरों ने इसे आजमाया, आज बेंजामिन नेतन्याहू इसे फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मोदी इसी पुरानी, ध्रुवीकरण विरुदावली की फासिस्टों की प्रिय पटकथा को दोहरा रहे थे। अडानी-अम्बानी जैसे राहू-केतुओं के फंदे में हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों से रोजगार और बहुमत जनता से गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार छीनने के वास्तविक अपराध का जिम्मा काल्पनिक रूप घुसपैठियों और मनगढ़ंत बाहरी पर डालकर अपना विभाजनकारी एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे।

लालकिले की प्राचीर से लक्ष्यबद्ध आक्रामक बहिष्करण अभियान का शंखनाद एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। यह बहुआयामी चौतरफा अभियान है। अत्यंत व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से एक झूठ को हजार-हजार बार-बोलकर सच बना देने के गोयाबल्सी गुरुमंत्र पर चलते हुए देश के घुसपैठियों के हवाले हो जाने का डर दिखाया जा रहा है। हर तरह का मीडिया इसी में जुटा है, हर स्तर के नेता इसी में भिड़े हैं, चुनाव आयोग सहित ज्यादातर संवैधानिक संस्थाए संघ के आनुषांगिक नत्थी संगठनों की तरह इसी भ्रम को बढ़ाने में जुटी हैं, यहाँ तक कि कुछ माननीय न्यायमूर्ति भी इस कीच-कुंड में डुबकी लगाने के लिए व्याकुल आतुर हुए जा रहे हैं। फिल्म के माध्यम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ; कश्मीर और केरल फाइल्स की फ्लॉप फिल्मों के बाद इसी कड़ी में उदयपुर फाइल्स आई। इन फिल्मों का असली मकसद क्या है, यह इस उदयपुर फाइल्स फिल्म के सुपर फ्लॉप हो जाने के बाद इसके निर्माता अमित जानी ने अपने खीज भरे बयान में दे दिया। उन्होंने मान लिया कि उनका इरादा हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने और भड़काने का था। इस असंदिग्ध अयोग्यता वाले संदिग्ध फिल्म निर्माता ने कहा कि "उसकी उम्मीद थी कि हिंदू समाज उनका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।" बन्दा इतना खिजियाया कि यहाँ तक बोल गया कि "पहले की तरह आज भी देश का हिंदू कौम मरा हुआ है। हिंदू जैसे पहले चादर तानकर सोया हुआ था, वैसे ही आज भी पड़ा हुआ है। मुस्लिमों, तुम लोग इस बात से खुश हो जाओ।" कायदे से इस व्यक्ति के इतने आपराधिक बयान के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और सेंसर बोर्ड सहित इसे रिलीज़ करने की अनुमति देने वाली अदालत की बेंच को देश से माफ़ी मांगते हुए इसका अनुमति पत्र रद्द कर देना चाहिए। मगर ऐसा होगा नहीं, बल्कि ताज्जुब मत कीजिएगा, यदि भक्तों के ब्रह्मा अपने गणों के साथ इसे देखते हुए नजर आयें। वे कश्मीर और केरल फाइल्स के वक़्त यह करतूत कर चुके हैं।

यह प्रोपेगंडा किसी जानी या किसी सी-ग्रेड फिल्मों के निर्देशक अग्निहोत्री का उत्पाद नहीं है, यह झूठा इतिहास गढ़कर नफरत और उन्माद भडकाने का कुनबे का प्रोजेक्ट है। ‘बंगाल फाइल्स’ के मामले में यह उजागर हो गया, जब जिस ‘डायरेक्ट एक्शन डे (अगस्त 1946)’ के दौरान हिंदू मोहल्लों के प्रमुख रक्षक रूप में दिखाए गए गोपाल मुखर्जी उर्फ ‘गोपाल पाठा’ के पोते शांतनु मुखर्जी ने अग्निहोत्री को लीगल नोटिस भेजा। शांतनु का कहना है कि "फिल्म ने उनके दादा को अमानवीय तरीके से पेश किया है और उन्हें राक्षसी रूप दिया है। यह भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण चरित्र का अपमान है।" फिल्म के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि फिल्म में न केवल गोपाल के ‘शब्दों और कामों’ को, बल्कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता और ऐतिहासिक संघर्ष को भी बदनाम किया जा रहा है। शांतनु ने कहा है, "दादाजी ने 1946 के दंगों के दौरान हमारे मोहल्ले में मुस्लिम परिवारों की भी रक्षा की थी। मेरे दादाजी ने अपने समर्थकों को संगठित किया और हथियार उठाए। उन्होंने ऐलान किया था — कि किसी निर्दोष मुस्लिम को नुकसान नहीं होना चाहिए। वे एक स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी और ‘महात्मा गांधी और नेताजी—दोनों के जाने-माने अनुयायी थे।" केरला फाइल्स के वक़्त भी यही हुआ था, जब खुद निर्माता को यह लिखा-पढ़ी में कबूल करना पड़ा था कि यह सिर्फ 3 महिलाओं की कहानी पर आधारित है। मोदी लालकिले की प्राचीर से इसी अमित जानी और विवेक अग्निहोत्री के आख्यान को आगे बढ़ा रहे थे। वे यही तक नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशस्तिगान भी किया। यह कुछ दिन बाद स्वयं के 75 वर्ष का होने पर लागू होने वाले रिटायरमेंट की आशंका को टालने के लिए की गयी चापलूसी भर नहीं थी, बल्कि उस संगठन का प्रशस्तिगान था, जिसे आजाद भारत में चार-चार बार — अंग्रेजों से आजादी पाने का विरोध कर काले झंडे फहराने, महात्मा गांधी की हत्या, उसके बाद 1975 में तथा उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाकर भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढाँचे पर हमला करने -- के लिए प्रतिबंधित किया जा चुका है। "सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, यह जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का यह सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से, 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है ..." ऐसा कहते हुए वे इतने तक ही नहीं रुके ; मुस्लिम लीग के साथ मंत्रिमंडल में रहने वाले श्यामा प्रसाद मुख़र्जी की 125 वीं वर्षगाँठ का उल्लेख भी लालकिले से कर दिया। उनकी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ऐसा विज्ञापन भी जारी किया, जिसमें सावरकर को गांधी, सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह के भी सर पर बिठाया हुआ था। अगर सावरकर स्वतन्त्रता सेनानी हैं और आरएसएस एनजीओ है, तो लगता है शब्दकोश के सारे मायने बदलने पड़ेंगे। कुल मिलाकर, लालकिले से ऐसा भाषण इस देश ने इससे पहले कभी नहीं सुना था।

खैरियत की बात है कि अनदेखे दिनों को देखने के अभिशाप से बचने और बचाने की तलाश और जिद भी इस दौरान नया आख्यान गढ़ रही थी ; इंडिया ब्लाक के दलों की बिहार में चल रही पदयात्रा रूप में भले लोकतंत्र के हरण के खिलाफ निकल रही थी, मगर सार में रात के विरुद्ध प्रातः के लिए है। इस तरह की मुहिम तेज करके ही फासीवाद लाने की साजिशों को धूल चटाई जा सकती है। क्या यह मुमकिन है? हाँ, यही है जो मुमकिन भी है, तय भी है!!

(लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।)

जय वंश हैल्थ केयर में लगे निःशुल्क परामर्श कैंप में लाभान्वित हुए सैकड़ों मरीज

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा। भूतेश्वर रोड़ (लाल चश्मा घर के सामने) स्थित जय वंश हैल्थ केयर में प्रमुख समाजसेवी स्व. कुंवर जयवीर सिंह सिकरवार (बाबूजी) की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित निःशुल्क परामर्श कैंप में सैकड़ों रोगी लाभान्वित हुए।साथ ही सैकड़ों व्यक्तियों ने बी.पी., शुगर, ई.सी.जी., बी.एम.डी., स्पायरोमेट्री, न्यूरोपैथी आदि निःशुल्क जांचों का लाभ प्राप्त किया।

कैंप के अंतर्गत वरिष्ठ रिटायर्ड आर्मी फिजिशियन डॉक्टर (मेजर) अजीत सिंह सिकरवार ने समस्त रोगियों की कुशलता पूर्वक जांच करके उन्हें उपचार के लिए निःशुल्क परामर्श दिया।

इस अवसर पर डॉक्टर (मेजर) अजीत सिंह सिकरवार ने कहा कि हम अपने पूज्य पिताजी स्व. कुंवर जयवीर सिंह सिकरवार की सद्प्रेरणा से निर्धन व निराश्रित ब्रजवासियों की सेवा के लिए प्रायः निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करते रहते हैं।जिनसे असंख्य रोगी लाभान्वित होते हैं।

प्रमुख समाजसेवी व वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि वरिष्ठ रिटायर्ड आर्मी फिजिशियन डॉक्टर (मेजर) अजीत सिंह सिकरवार अत्यंत सेवाभावी, परोपकारी एवं सहृदय चिकित्सक हैं।इसी के चलते वे अपनी भारतीय थल सेना की चिकित्सकीय सेवा छोड़कर ब्रजवासियों की सेवा में संलग्न हैं।इन्होंने कोरोना काल में कोरोनाग्रस्त ब्रजवासियों की जो निस्वार्थ सेवा की, वो अत्यंत प्रशंसनीय है।सच तो यह है कि उन्होंने कोरोना काल में एक मसीहा के रूप में असंख्य रोगियों को नव जीवन प्रदान किया।

कैंप के अंतर्गत प्रमुख समाजसेवी स्व. कुंवर जयवीर सिंह सिकरवार (बाबूजी) की 20वीं पुण्यतिथि पर समस्त रोगियों व राहगीरों को प्रसाद वितरित किया गया।

भक्ति धाम में श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव 24 अगस्त से

विश्वविख्यात भागवताचार्य कृष्ण गोपाल सुवेदी महाराज समस्त भक्त-श्रद्धालुओं को कराएंगे श्रीमद्भागवत की अमृतमयी कथा का रसास्वादन
महोत्सव के अंतर्गत 26 अगस्त को आयोजित होगा निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रुक्मणि विहार, सैक्टर-1 स्थित भक्ति धाम में भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पटियाला/वृन्दावन के आठवें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अष्ट दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव 24 से 31 अगस्त 2025 पर्यन्त अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। जानकारी देते हुए महोत्सव के समन्वयक डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि महोत्सव का शुभारभ 24 अगस्त को प्रातः 09 बजे से निकलने वाली श्रीमद्भागवतजी की भव्य कलश यात्रा के साथ होगा।तत्पश्चात विश्वविख्यात भागवताचार्य कृष्ण गोपाल सुवेदी महाराज अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा अपराह्न 04 बजे से सायं 08 बजे तक देश के विभिन्न प्रांतों से आए समस्त भक्त-श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराएंगे।

उन्होंने बताया है कि महोत्सव के अंतर्गत 26 अगस्त 2025 को प्रातः 09 बजे से कल्याणम् करोति के सचिव सुनील शर्मा के सहयोग से निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर लगाया जाएगा।जिसमें भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पटियाला/वृन्दावन के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, बैसाखी, वॉकर, व्हीलचेयर आदि सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष के. एल. बंसल, उपाध्यक्ष नरेश गोयल, मुख्य सलाहकार डॉ. आर. के. गर्ग एवं महामंत्री संदीप कुमार सिंगला आदि ने सभी से इस महोत्सव में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

भारत की नीली अर्थव्यवस्था- मानसून सत्र में बने पांच नए समुद्री कानून समुद्री क्रांति है, जो विज़न 2047 आत्मनिर्भर भारत में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होंगे

पांच नए समुद्री कानून भारत के विज़न आत्मनिर्भर भारत 2047 में विकसित राष्ट्र और वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने में अहम रोल अदा करेंगे
भारत में पांच नए समुद्री कानून भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज देने के साथ, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ब्लू इकोनामी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेंगे- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

भारत को प्राचीन काल से ही समुद्री सभ्यता और व्यापारिक शक्ति के रूप में जाना जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल बंदरगाह से लेकर चोल साम्राज्य की दक्षिण-पूर्व एशिया तक विस्तृत समुद्री कूटनीति, भारत ने हमेशा सागर को अपनी समृद्धि और शक्ति का आधार बनाया है।लेकिन औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक समुद्री क्षेत्र में व्यापक सुधार नहीं हो पाए।वर्तमान में वैश्विक व्यापार का लगभग 80 पेर्सेंट वॉल्यूम और 70 पेर्सेंट वैल्यू समुद्री मार्ग से होती है। भारत की तटीय लंबाई 7,517 किमी है, 200 से अधिक बंदरगाह और विशाल एक्सक्लुसिव इकोनॉमिक्स झोन है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि फिर भी भारत का योगदान वैश्विक शिपिंग में सीमित रहा।इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने 2025 में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक साथ पांच बड़े समुद्री विधेयक लाकर संसद के दोनोंसदनों में पारित कर कानून बनाकर एक समग्र समुद्री सुधार पैकेज प्रस्तुत किए जो, सिर्फ विधायी सुधार नहीं, बल्कि भारत की समुद्री क्रांति हैं। ये कानून न केवल व्यापार दक्षता बढ़ाएंगे, बल्कि भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाएंगे। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज मिलेगा, बल्कि नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास औरआत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह कदम एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में पांच नए समुद्री कानून भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज देने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ब्लू इकोनामी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेंगे।

साथियों बात अगर हम संसद के मानसून सत्र 2025 के दोनों सदनों में पारित होकर कानून बनें इन पांचो समुद्री कानूनों को जानने की करें तो, (1) बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025- बिल्स ऑफ लैडिंग समुद्री व्यापारका सबसे अहम दस्तावेज होता है, जो माल ढुलाई का प्रमाण, स्वामित्व का सबूत और व्यापारिक अनुबंध का हिस्सा होता है। नए विधेयक का उद्देश्य इसे डिजिटल और ब्लॉकचेन- आधारित प्रणाली से जोड़ना है ताकि नकली दस्तावेज़, धोखाधड़ी और पारदर्शिता की कमी को दूर किया जा सके। इसका प्रभाव यह होगा कि निर्यातक और आयातक दोनों को सुरक्षित और तेज़ लेन-देन की सुविधा मिलेगी। (2) समुद्री माल ढुलाई विधेयक, 2025-यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में माल ढुलाई अनुबंधों को विनियमित करेगा। अब जहाज़ कंपनियों, निर्यातकों और आयातकों के बीच विवाद समाधान तेज़ होगा। बीमा, देरी और हर्जाने के मामलों में स्पष्ट प्रावधान दिए गएहैं।इससे भारत का इज़ीऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग बेहतर होगी।(3) व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक, 2025-यह कानून भारतीय जहाज़ी बेड़े के आधुनिकीकरण और नए पोतों में निवेश को बढ़ावा देगा। विदेशी जहाज़ कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलेगा।साथ ही, घरेलूशिपबिल्डिंग इंडस्ट्री और रोजगार में उछाल आएगा।(4) तटीय नौवहन विधेयक, 2025- तटीय नौवहन कानून घरेलू व्यापार और यात्री सेवाओं को नई दिशा देगा।यह ‘एक देश-एक परमिट’ की अवधारणा लाता है, जिसके तहत जहाज़ आसानी से भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर बिना जटिल प्रक्रियाओं के संचालन कर सकेंगे।इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और माल परिवहन तेज़ होगा।(5) भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 -यह कानूनभारतीय बंदरगाहों को स्वायत्त, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर केंद्रित है। इसमें ग्रीन पोर्ट्स, स्मार्ट पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजना है। इसका सीधा प्रभाव भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा।

साथियों बात अगर हम इन पांचो कानून के फायदे को प्वाइंटों में समराइस करनें व एक साथ ही पेश पारितकरने को समझने की करें तो, (1) भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज- जीडीपी योगदानः 2030 तक भारत की ब्लू इकॉनमी जीडीपी का 12पेर्सेंट तक योगदान कर सकती है, जो वर्तमान में 4 पेर्सेंट हैं।(2) लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमीः 13-14 पेर्सेंट से घटकर 8-9 पेर्सेंट तक। (3) रोज़गार सृजनः शिपबिल्डिंग और पोर्ट लॉजिस्टिक्स में 20 लाख से अधिक नए अवसर। (4) निर्यात प्रतिस्पर्धाः तेज़ डिलीवरी और कम लागत से भारत डब्लूटीओ सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में मज़बूत होगा। (5) नीली अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ भूमिका-नीली अर्थव्यवस्था सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है। इसमें मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री खनिज, ऑफशोर ऊर्जा, और बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल हैं।यूएनसीटीएडी की 2023 रिपोर्ट बताती है कि ब्लू इकॉनमी से विश्व स्तरपर 3 डॉलर ट्रिलियन जीडीपी जुड़ी हुई है।भारत की, ईईजेड (2.4 मिलियन वर्ग किमी) दुनियाँ में सबसे बड़ी में से एक है।(6) नए कानून समुद्री ऊर्जा (ऑफशोरे विंडो, वेव एनर्जी), खनिज संसाधन (पॉलिमटेलिक नोडल्स), और समुद्री बायोटेक्नोलॉजी को कानूनी ढांचा देंगे। (7) व्यापार दक्षता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा- डब्लूटीओ की ट्रेड फेसिलिटेशन एग्रीमेंट (टीएफए) में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और तेज़ क्लियरेंस की अनिवार्यता है, जो भारत के नए कानून इससे मेल खाते हैं। (8) आईएमओ के ग्रीन शिपिंग टारगेटस (2050) के तहत जहाज़ों से कार्बन उत्सर्जन 50 पेर्सेंट घटाने का लक्ष्य है। भारत का व्यापारिक पोत कानून इसी दिशा में "ग्रीन शिपिंग" को बढ़ावा देगा। (9) चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव (बीआरआई) समुद्री बंदरगाह नेटवर्क तैयार कर रहा है। भारत इन सुधारों से एशियाई सप्लाई चेन में एक मज़बूत विकल्प बनेगा। (10) पांच विधेयक एक साथ क्यों- (i) उद्योग को स्पष्ट संदेश कि भारत सिर्फ टुकड़ों में नहीं, बल्कि समग्र सुधार चाहता है।(ii) डब्लूटीओ और आईएमओ की अंतरराष्ट्रीयबाध्यताओं को एक साथ पूरा करना। (iii) औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त करने का राजनीतिक और आर्थिक संकल्प।(iv) "मारिटाइम इंडिया विज़न 2047" का रोडमैप तैयार करना। (11) औपनिवेशिक कानून का अंत और नई शुरुआत- (i) अंग्रेजों के जमाने के कानून व्यापार को नियंत्रित करने के लिए थे, भारत के हितों के लिए नहीं।(ii) अब नए कानून भारतीय समुद्री स्वायत्तता का प्रतीक हैं। (iii) इससे तटीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा- (i) मछुआरों को आधुनिक कोल्ड-चेन और तेज़ निर्यात सुविधा।(ii) तटीय पर्यटन उद्योग को स्मार्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। (iii) स्थानीय युवाओं को लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था- मानसून सत्र में बने पांच नए समुद्री कानून, समुद्री क्रांति है जो विज़न 2047 आत्मनिर्भर भारत में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होंगेपांच नए समुद्री कानून भारत के विज़न आत्मनिर्भर भारत 2047 में विकसित राष्ट्र और वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने में अहम रोल अदा करेंगे भारत में पांच नए समुद्री कानून भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज देने के साथ, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ब्लू इकोनामी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेंगे।

डुकाटी डेजर्टएक्स रैली पर ₹1.5 लाख तक का डिस्काउंट, 6-राइडिंग मोड्स जैसे एडवांस्ड राइडर एड्स से लैस

डुकाटी इंडिया अपनी DesertX Rally पर 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। यह ऑफर 31 अगस्त 2025 तक के लिए है। DesertX Rally की एक्स-शोरूम कीमत 23.71 लाख रुपये है। इस मोटरसाइकिल में 937cc का डुकाटी टेस्टास्ट्रेटा इंजन है जो 108 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क देता है। इसमें छह राइडिंग मोड्स भी हैं।

नई दिल्ली। डुकाटी इंडिया अपनी DesertX Rally पर 1.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इसे खरीदने वालों को 1.5 लाख रुपये का स्टोर क्रेडिट मिलेगा, जिससे वे स्टोर से ही एक्सेसरीज, राइडिंग जैकेट या अन्य सामान खरीद पाएंगे। डुकाटी की इस मोटरसाइकिल यह डिस्काउंट ऑफर केवल 31 अगस्त 2025 तक के लिए दिया जा रहा है।

Ducati DesertX Rally की कीमत

Ducati DesertX Rally की एक्स-शोरूम कीमत 23.71 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि यह डुकाटी डेजर्टएक्स का सबसे महंगा मॉडल है।

डिजाइन और स्टाइलिंग

Ducati DesertX Rally में सामने की तरफ 21-इंच और पीछे 18-इंच का मजबूत व्हील दिया गया है। यह डुकाटी लाइनअप में पहली मोटरसाइकिल है जिसमें ऑफ-रोड के लिए ऐसी खास कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, बाइक को एक नई livery दी गई है। डुकाटी ने इसमें स्टैंडर्ड रूप से पिरिली स्कॉर्पियन रैली एसटीआर टायर दिए गए हैं, राइडर्स सड़क पर बेहतर उपयोग के लिए स्कॉर्पियन ट्रेल II टायर भी चुन सकते हैं।

सस्पेंशन और चेसिस

Ducati DesertX Rally के में बीक-स्टाइल फ्रंट मडगार्ड और कायबा सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट और रियर दोनों सस्पेंशन में एक्स्ट्रा 20 मिमी की यात्रा दी गई है, जिससे ऑफ-रोड हैंडलिंग और आराम बेहतर होता है। नए विकसित सेंट्रल-स्पोक्ड व्हील्स भी पारंपरिक अलॉय रिम्स की तुलना में प्रभाव प्रतिरोध को बेहतर बनाते हैं, जिससे यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर अधिक लचीला बनती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

Ducati DesertX Rally में 937cc का डुकाटी टेस्टास्ट्रेटा 11° ट्विन-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 108 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन हाईवे पर क्रूजिंग और मुश्किल ऑफ-रोड रास्तों दोनों के लिए आवश्यक पावर और लचीलापन सुनिश्चित करता है।

Ducati DesertX Rally के फीचर्स

इसमें छह राइडिंग मोड्स स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंड्यूरो और रैली दी जाती है। इससे राइडर अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। इसमें कॉर्नरिंग एबीएस, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), और डुकाटी व्हीली कंट्रोल (DWC) जैसे एडवांस्ड राइडर एड्स भी शामिल हैं। डुकाटी मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ 5-इंच का कलर टीएफटी डिस्प्ले स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, म्यूजिक प्लेबैक, कॉल मैनेजमेंट और वैकल्पिक टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स के साथ आती है।

20 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई फीस

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 20 साल से पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस बढ़ा दी है। लाइट मोटर व्हीकल के लिए फीस 5000 से 10000 रुपये कर दी गई है जबकि 20 साल पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए 1000 से 2000 रुपये हो गई है। इस कदम का उद्देश्य पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है। पुरानी गाड़ियां प्रदूषण और सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होती हैं।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस बढ़ा दी है। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना है। आइए विस्तार में जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस किस व्हीकल के लिए कितनी बढ़ी है।

कितनी बढ़ी फीस ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल, 20 साल पुरानी मोटरसाइकिलें, थ्री-व्हीलर और क्वाड्रिसाइकिल, इंपोर्टेड दो और तीन पहिया वाहन, इंपोर्टेड चार या उससे ज्यादा पहियों वाले वाहन की रिन्यूअल फीस को बढ़ा दिया गया है।

पॉलिसी को दिया गया अंतिम रूप

इस संशोधन का ड्राफ्ट फरवरी 2025 में जारी किया गया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस बढ़ाई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरन कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार का तर्क था कि वाहन की उम्र नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक स्थिति और इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी लागू की जाए।

क्यों किया गया बदलाव ?

पुरानी गाड़ियां न केवल ज्यादा प्रदूषण करती हैं, बल्कि उनकी मेंटेनेंस और सुरक्षा भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। फीस बढ़ाने से उम्मीद है कि लोग पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे और नई, सुरक्षित और ज्यादा ईको-फ्रेंडली गाड़ियों की ओर रुख करेंगे।

इंजन, फीचर्स और कीमत में कौन है बेस्ट बाइक ?

हीरो ग्लैमर एक्स बनाम होंडा सीबी125 हॉर्नेट हीरो मोटोकॉर्प ने Hero Glamour X 125 को लॉन्च किया जो क्रूज कंट्रोल वाली सबसे सस्ती बाइक है। इसका मुकाबला Honda CB125 Hornet से है। Glamour X में 124.7cc का इंजन है जबकि Hornet में 123.94 cc का इंजन है। Glamour X में क्रूज कंट्रोल राइडिंग मोड्स और डिजिटल LCD क्लस्टर जैसे फीचर्स हैं जबकि Hornet में TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में भारत में Hero Glamour X 125 को लॉन्च किया है। भारत में यह सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल वाली बाइक है। इसके साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है। इसका मुकाबला Honda CB125 Hornet से देखने के लिए मिलेगा, जो हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है। यह भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। हम यहां पर इन दोनों (Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet) बाइक की तुलना करते हुए आपको बता रहे हैं कि इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन बेहतर है ?

Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet: कीमत

Hero Glamour X को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके ड्रम वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 89,999 रुपये, जबकि डिस्क वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये है। वहीं, Honda CB125 Hornet को 1.12 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है।

Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet: इंजन

Hero Glamour X में 124.7 cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर Sprint EBT इंजन दिया गया है, जो 11.3 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

Honda CB125 Hornet में 123.94 cc का 4-स्ट्रोक, SI इंजन दिया गया है, जो 11hp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

Hero Glamour X Vs Honda CB125 Hornet: फीचर्स

Hero Glamour X अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक में से एक है। यह क्रूज कंट्रोल पाने वाली पहली 125cc बाइक है। इसके अलावा, राइड-बाय-वायर और तीन राइडिंग मोड्स ईको, रोड और पावर दिया गया है। इसके साथ ही रियर पैनिक ब्रेक अलर्ट भी दिया गया है। इसके साथ ही फुल LED लाइटिंग, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, और फुली डिजिटल LCD क्लस्टर के साथ 60+ फंक्शन्स जैसे टैर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स, गियर इंडिकेटर, फ्यूल एफिशिएंसी डेटा, रेंज टू एम्प्टी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Honda CB125 Hornet में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है। यह होंडा रोडसिंक ऐप को भी सपोर्ट करता है, जिससे नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और म्यूजिक प्लेबैक की सुविधा मिलती है। इसमें एक USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, इंजन स्टॉप स्विच और इंजन इन्हिबिटर के साथ एक साइड-स्टैंड इंडिकेटर भी दिया गया है।

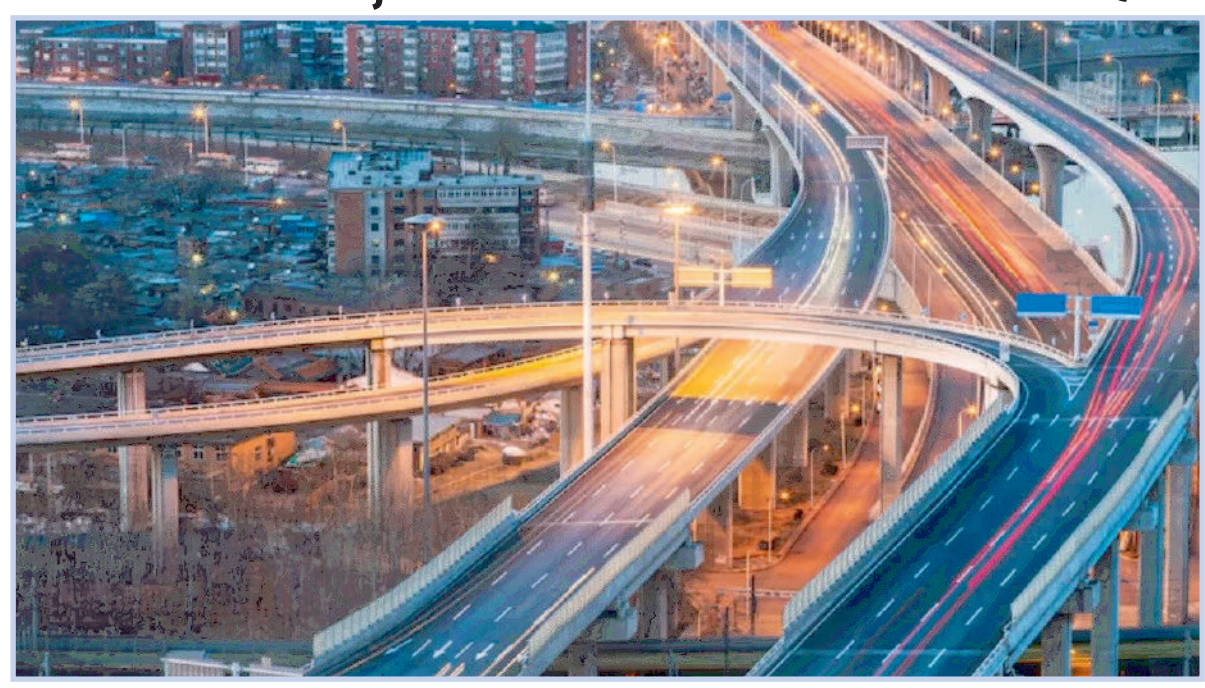

महाराष्ट्र सरकार ने दी बड़ी राहत, इन वाहन चालकों के लिए किया टोल माफ, जानें किन टोल प्लाजा पर मिलेगी राहत

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य के तीन मुख्य हाइवे जिनमें मुंबई का अटल सेतु भी शामिल है अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल फ्री रहेंगे। नई ईवी पॉलिसी 2025 के अंतर्गत अटल सेतु समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल से छूट मिलेगी। यह नियम 22 अगस्त 2025 से लागू होगा।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख हाइवे अब टोल फ्री कर दिया है। इसमें मुंबई का अटल सेतु भी शामिल है। यह पुल बेहद अहम लिंक है, लेकिन इस पुल का इस्तेमाल करने पर भारी टोल टैक्स देना पड़ता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। नई EV पॉलिसी 2025 के तहत अटल सेतु पर ईवी गाड़ियों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा।

ये हाइवे अब टोल फ्री

यह टोल माफी फिलहाल अटल सेतु कॉरिडोर के शिवाजी नगर और गावन कलेक्शन सेंटर्स पर लागू होगी। इससे पहले 31 जनवरी 2025 के एक रिजॉल्यूशन में सभी वाहनों के लिए टोल शुल्क 31 दिसंबर 2025 तक तय किया गया था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे बाहर कर दिया गया है। अटल सेतु के अलावा, समृद्धि एक्सप्रेसवे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल छूट मिलेगी। पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य हाईवेज़ पर इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को टोल का सिर्फ 50% ही देना होगा।

किन वाहनों को मिलेगी छूट ?

ऊपर बताए गए हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल फ्री किया गया है। इन इलेक्ट्रिक वाहनों में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (M1 कैटेगरी) इलेक्ट्रिक बसें (M3 और M4 कैटेगरी), चाहे वे स्टेट ट्रांसपोर्ट उपक्रम (STU) द्वारा संचालित हों या नॉन-STU ऑपरेटर्स द्वारा शामिल है। हालांकि, इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है।

कब से लागू होगा नियम ?

22 अगस्त 2025 से यह छूट लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और इलेक्ट्रिक बसें इस पुल पर टोल फ्री होकर चल सकेंगी। यह फैसला महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जारी अधिसूचना में पुष्टि की गई है।

महिंद्रा XUV 3XO RevX बनाम हुंडई वेन्यू N लाइन : कीमत, इंजन और फीचर्स के मामले में कौन है बेस्ट ?

महिंद्रा XUV 3XO RevX बनाम हुंडई वेन्यू N लाइन महिंद्रा ने हाल ही में XUV 3XO के लिए नई RevX रेंज पेश की है जिसमें दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प हैं। इसका मुकाबला हुंडई वेन्यू N लाइन से है। XUV 3XO वेन्यू N लाइन से चौड़ाई ऊंचाई और व्हीलबेस में बड़ी है। XUV 3XO में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो वेन्यू N लाइन से अधिक पावर और टॉर्क देता है।

नई दिल्ली। महिंद्रा ने हाल ही में Mahindra XUV 3XO के लिए नई RevX रेंज को पेश की है। इसे दो दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इस लाइनअप में सबसे ऊपर RevX A वेरिएंट है, जो सबसे ज्यादा फीचर्स से भरा है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Venue N Line के N6 DCT वेरिएंट से देखने के लिए मिलेगा। हम यहां पर आपको इन दोनों (Mahindra XUV 3XO RevX A AT vs Hyundai Venue N Line N6 DCT) गाड़ियों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कौन-सी कार बेहतरीन है ?

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: कीमत

Mahindra XUV 3XO RevX A AT: 12.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Hyundai Venue N Line N6 DCT: 12.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: डायमेंशन्स

महिंद्रा XUV 3XO करीब हर पैमाने पर आगे निकलती है, जबकि हुंडई वेन्यू N लाइन की लंबाई से थोड़ी छोटी है। ह चौड़ाई और ऊंचाई में काफी बड़ी है। इसके अलावा, इसका व्हीलबेस भी काफी लंबा है। यह सब मिलकर XUV 3XO को ज्यादा बड़ा केबिन दिया गया है।

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: इंजन

महिंद्रा XUV 3XO RevX A में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह हुंडई वेन्यू N लाइन के 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की तुलना में 11 PS ज्यादा पावर और 58 Nm ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। XUV 3XO में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि वेन्यू N लाइन में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।

Mahindra XUV 3XO RevX vs Hyundai Venue N Line: फीचर्स

यह दोनों ही कई बेहतरीन और शानदार फीचर्स के साथ आती है। इनमें एलईडी हैडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन दोनों में 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, रियर पार्किंग कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

छत्तीसगढ़ चलती बाइक पर फिल्मी स्टंट, कपल गिरफ्तार, वायरल हुआ वीडियो!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कपल चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है जहां युवती बाइक के पेट्रोल टैंक पर बैठी राइडर को गले लगाते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक सवार मनीष को गिरफ्तार कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

नई दिल्ली। हाल-फिलहाल में सोशल मीडियो पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस वायरल वीडियो में एक कपल चलती बाइक पर फिल्मी अंदाज में स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो के वायरल होते ही लोग जहां हैरान रह गए, वहीं पुलि भी तुरंत हरकत में आई और बाइक सवार को सवार को गिरफ्तार कर लिया। यह वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का बताया जा रहा है।

वायरल वीडियो में क्या है ?

वायरल वीडियो को भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 10 इलाके में शूट की गई बताई जा रही है। इसमें एक युवती को बाइक की पेट्रोल टैंक पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। वह राइडर को गले लगाते हुए बाइक पर सफर कर रही है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। वीडियो को पीछे से चल रही एक कार से रिकॉर्ड किया गया।

पुलिस ने की ये कार्रवाई

वीडियो के वायरल होने के बाद भिलाई नगर पुलिस ने बाइक सवार की पहचान कर ली। बाइक चलाने वाले युवक का नाम मनीष बताया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसपर अधिकारियों का कहना है कि ऐसे स्टंट न सिर्फ़ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हैं बल्कि जिंदगियों को भी खतरे में डालते हैं।

इससे पहले भी हुआ था ऐसा मामला

यह घटना लोगों को जून महीने की याद दिलाती है, जब नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी एक कपल का ऐसा ही स्टंट वायरल हुआ था। उस मामले में बाइक सवार को 53,500 रुपये का भारी-भरकम चालान भरना पड़ा था। पुलिस का कहना है कि इस तरह के स्टंट सोशल मीडिया पर भले ही आकर्षण बटोर लें, लेकिन सड़क पर जानलेवा साबित हो सकते हैं।

नाम नहीं, काम की संस्कृति

विजय गर्ग

भारत बहुत प्राचीन देश है। यहां की सांस्कृतिक विविधता ही हमारी पहचान है। आजादी का शतकीय महोत्सव, जो हम वर्ष 2047 में मनाने वाले हैं, उसके लक्ष्य में भी यही इच्छा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखकर विश्वगुरु की भूमिका निभाए। वर्तमान सरकार की भी यह घोषणा है कि अपने देश में जिस विकास की नींव हम रख रहे हैं, उसका सुफल हजारों वर्षों तक मिलेगा तथा हमारी सांस्कृतिक गरिमा और भव्यता बनी रहेगी। बहुत-सी बातें हैं जिनके बल पर हम इस दावे को प्रमाणित करना चाहते हैं। भारत एक युवा देश है और इसकी आधी आबादी कार्यशील उम्र अवधि में है। इसलिए अगर यह आधी आबादी काम पर या राष्ट्र निर्माण में लग जाए तो भारत को दूसरे देशों से आगे निकलने में देर नहीं लगेगी। मगर, हमारी अर्थव्यवस्था के प्रशस्ति गायकों का यह मत है कि हम दुनिया के विभिन्न देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थ में पहुंच गए हैं और अब जरूरत है अर्थव्यवस्था में कुछ और करने की। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे।

अब देखना यह है कि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग क्या देश में काम की संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण रपट आई है, जिसमें विभिन्न देशों की मेहनत वृत्ति या काम करने की अवस्था का आकलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम आधी आबादी काम के बजाय आराम करना पसंद करती है, क्योंकि मुफ्तखोरी और अनुकंपा संस्कृति का चलन बढ़ रहा है। एक और बात सामने आई है कि भारत में बहुत सारे लोगों की मेहनत को श्रेय या

पारिश्रमिक ही नहीं मिलता है। जैसे महिलाएं इस देश की आबादी का करीब आधा हिस्सा हैं। इनमें से ज्यादातर की मेहनत को घर का सामान्य कामकाज ही समझा जाता है। इस काम के लिए उन्हें अलग से कोई नियत वेतन नहीं मिलता। ये महिलाएं दिनभर काम में व्यस्त रहने के बावजूद अपने लिए कोई अलग आर्थिक संबल प्राप्त नहीं कर पातीं।

इसमें संदेह नहीं कि आज भी जो बेकारी के आंकड़े सामने आते हैं, उनमें ग्रामीण बेरोजगारी के बाद शहरी बेरोजगारी में भी वास्तविक अर्थों में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही। चाहे औपचारिक घोषणाओं में हम यह कहते रहें कि हमने हजारों खाली पद भर लिए हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितने खाली पद भरे, बल्कि देश की युवा संतति के कामकाज के लिए कितनी नई कार्य व्यवस्थाएं सृजित की गईं। देश के वार्षिक बजट में के आय-व्यय ब्योरे में हम कितनी उन नई योजनाओं की घोषणा कर पाए, जिनमें युवा पीढ़ी को काम मिले। बेशक बजट में और इसके बाद नेताओं के भाषणों में यह कहा जाता है कि देश मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि इनमें साधारण नागरिकों को रोजगार

देने की क्षमता है। पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया कि देश में सहकारिता की भावना को विकसित किया जाएगा, ताकि अधिक से

अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन जब हम वास्तविकता का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास में भी बड़े पूंजीपतियों के निवेश का प्रवेश हो गया है, क्योंकि, सरकार की नीति निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की है। सहकारिता आंदोलन के विकास के बारे में बहुत से औपचारिक बयान दिए जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सहकारिता की भावना को

किसी भी समर्पित स्तर पर देश में अपनाया नहीं जा सका है। न तो कृषि और न ही उद्यम क्षेत्र में देश में नवउद्यमों की बहुत बात होती है। नवउद्यम वे उद्योग हैं, जिनमें नए निवेशकों को काम करने का अवसर मिलता है और नवाचार या नव अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन नवउद्यमों का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। धनी लोग जो बैंकिंग सहायता से इन उद्योगों में में सक्रिय योगदान दे सकते अदान दे सकते हैं, उनकी भागीदारी कम हो रही है। कृत्रिम मेधा और डिजिटल क्षेत्र के विकास के साथ- साथ अल्प पूंजी वाले निवेशकों का फीसद इसमें कम होता जा रहा है। उधर, शुल्क संघर्ष में विदेशी व्यापार इस तरह से करवट बदलता नजर आ रहा है कि लगता है भारत के निवेशकों को लागत पूरा न होने और निर्यात घटने के संशय से औद्योगिक सक्रियता कम करनी होगी। इसीलिए अब जो नए आंकड़े रेटिंग एजेंसी मूडीज की ओर से आए हैं, उनमें यह कहा गया है कि भारत की इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 6.5 फीसद से कम होकर छह फीसद तक रह सकती है। यह कोई संतोष की बात नहीं है कि हमारी विकास दर अभी भी दुनिया में सबसे अधिक है। देखना होगा कि जो पीढ़ी काम कर सकती हैं, क्या इस विकास दर ने उन्हें काम दिया? अगर आय और संपदा का समुचित बंटवारा हो जाता, तो निश्चय ही यह विकास दर बेरोजगारों को रोजगार देती।

आजकल लगता है कि देश में दावा संस्कृति या नाम संस्कृति का बोलबाला हो गया है। अभी सरकार की ओर से बयान आया कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। यह बयान तो पहले ही आ गया था कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य का यह बड़प्पन क्या देश में काम करने वालों के लिए काम की संस्कृति पैदा रहा है? क्या ? क्या हमने देश 'हर नौजवान के लिए उसकी योग्यता के अनुसार काम के अवसर सृजित किए हैं? जवाब है, नहीं यह बात सच है कि हमने किसी भी व्यक्ति को भूख से न मरने देने की गारंटी दे रखी रखी है। । इस गारंटी को पूरा करने के लिए हमने रियायती रेवड़ियां बांटना जारी रखा है। इसके लिए सभ्य नाम उदार संस्कृति हैं और आर्थिक नाम अनुकंपा । संस्कृति है। वर्ष 2029 तक हमने सस्ता खाद्यान्न प्रदान करने की नीति को बढ़ा ही दिया है। असर यह हुआ है कि नौजवानों का दबाव रोजगार खिड़कियों से हटकर रियायती अनाज बांटने वाली खिड़कियों की ओर हो गया है।

ज्यों-ज्यों चुनावी एजेंडों में नई अनुकंपा योजनाओं की घोषणा होती है, त्यों-त्यों भारत के दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिने जाने की संभावना मजबूत होती है, जो अपनी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटता है। मगर, अपने आप में क्या यह कार्य संस्कृति से हटना नहीं ? जापान और चीन ने जितनी तरक्की की है, वह इसीलिए संभव हो सका कि वहां काम की संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता है। हमारे यहां तो नाम संस्कृति कह लीजिए या रेकार्ड बनाने की संस्कृति कि हमने सबसे अधिक आबादी को रियायती अनाज दे दिया। ऐसे में जरूरी है कि काम की तलाश में विदेश जा रही हमारी युवा पीढ़ी को देश में ही राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए। मगर उसके लिए देश के नीति निर्माताओं को घोषणा संस्कृति से हटकर कार्य संस्कृति को लेकर प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और प्राथमिकताओं की तस्वीर को जरूरत के हिसाब से बदलना होगा।

सांसदों से वसूली की जाए

लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गईं। यानी संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो गया। यह संसद सत्र न भी होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राष्ट्रीय नुकसान नहीं होता। हम यह बहुत भारी मन से लिख रहे हैं, व्यथित महसूस कर रहे हैं। हालांकि यह कहना देशहित में नहीं है, क्योंकि संसद हमारा सर्वोच्च और गरिमामय लोकतांत्रिक मंदिर है। बार-बार यह महज एक कथन, आदर्श वाक्य लगता है, क्योंकि संसद एक अखाड़ा बन कर रह गई है। संसद सत्र के दौरान करीब 190 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। संसद की सार्थक कार्यवाही नहीं चल सकी। एक दिन की संसदीय कार्यवाही पर औसतन 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह राशि सांसदों की नहीं, बल्कि देश की करदाता जनता की है। हंगामे, शोर-शराबे और कार्यवाही के बार-बार स्थगन के लिए जनता पैसे क्यों दे? सदन चले अथवा स्थगित हो जाए, लेकिन सांसद को 2500 रुपए का रोजाना भत्ता जरूर मिल जाता है। इस बार कुछ सांसदों ने ही यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सदन के स्थगन से जितना आर्थिक नुकसान हुआ है, उतनी राशि सांसदों से ही वसूल की जाए। सांसदों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। विपक्ष ने सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा जारी रखा, जबकि उन्हें भी जानकारी थी कि संसद के भीतर चुनाव आयोग पर बहस नहीं की जा सकती। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का संवैधानिक विशेषाधिकार है, लेकिन विपक्ष ने सदन के भीतर और बाहर लगातार हंगामा किया और उसे अपना संवैधानिक अधिकार बताया। उस संदर्भ में वह बार-बार दिवंगत नेता अरुण जेतली को उद्धृत करता रहा। यदि संवैधानिक अधिकार के कारण ही संसद की कार्यवाही बाधित होती रहे और अंततः उसे स्थगित करना पड़े, तो उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? यह कहना अर्द्धसत्य है कि सदन की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष का दायित्व है। यह कथन तब सही है, जब कार्यवाही में विपक्ष भी लगातार भागीदार बने। तभी बहस और चर्चाएं संभव हैं, तभी विधेयकों पर सामूहिक चर्चा कर उन्हें पारित करना संभव है।

कहने को लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 14 बिल पारित किए गए। उन्हें 'हां' अथवा 'ना' के ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। उसके लिए संसद की क्या जरूरत है? ऑनलाइन गेमिंग सरीखे बिल, जो करीब 45 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है और करीब 20,000 करोड़ रुपए दांव पर हैं, बिना चर्चा के ही पारित कर लिए गए। इंडियन पोट्र्स बिल 2025 और नेशनल स्पोट्र्स गवर्नेंस बिल महत्वपूर्ण बिल थे, लेकिन वे भी बिना चर्चा के पारित कर लिए गए। यदि संसद में ऐसा ही चलना है, तो सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है? लोकसभा की उत्पादकता 31 फीसदी और राज्यसभा की 35 फीसदी रही। लोकसभा में विधायी कार्य 2.9 घंटे और राज्यसभा में 13.1 घंटे ही हो सका। संसद सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला और 21 बैठकें हुईं। लोकसभा में 126 घंटे काम होना तय था, लेकिन 37 घंटे ही हो सका। लोकसभा में प्रश्नकाल मात्र 4.7 घंटे और राज्यसभा में 1.2 घंटे ही चला। संसद का क्या औचित्य है कि सांसद मंत्री से सवाल ही न कर सके? यह सत्र उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के लिए भी याद किया जाएगा कि अचानक उन्हें इस्तीफा देने को बाध्य किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति न जाने कहां छिपे हैं कि उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है? उन्हें विदाई पार्टी भी नहीं दी गई! 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बहस तो हुई और अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने 102 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया, लेकिन कई पहलू छूट गए। युद्धविराम किसने कराया, प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में जवाब नहीं दिया। कई बिल बिना चर्चा के पास होना कुछ सवाल खड़े करता है।

विकास व पर्यावरण संरक्षण में हो संतुलन

विजय गर्ग

इसमें दो राय नहीं कि मानव जीवन की सुविधा के लिये बना प्लास्टिक आज हमारी धरती के लिये ही घातक साबित हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्लास्टिक हमारे ग्रह का दम घोंट रहा है। निस्संदेह, इसको नष्ट करना बेहद कठिन है क्योंकि धरती में दबाएं तो भूमि की उर्वरता पर संकट आता है। इसको जलाएं तो विषैली गैसों से वातावरण प्रदूषित होता है। ये जल्दी से गलता भी नहीं है। अब तो महानगरों व शहरों की जल निकासी को प्लास्टिक गहरे तक बाधित कर रहा है। यहां तक कि प्लास्टिक के बारीक कण मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है तो मछलियों को जहरीला बना रहा है। नदी, पहाड़ और मैदान सब प्लास्टिक कचरे के आगोश में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भयावह संकट के बावजूद इससे निबटने के उपायों को लेकर वैश्विक सहमति नहीं बन पा रही है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर जिनेवा वार्ता विफल होने से इस बाबत वैश्विक विभाजन पूरी तरह उजागर हो गया है। दरअसल, लगभग सत्तर देशों का एक उच्च महत्वाकांक्षी समूह, जो प्लास्टिक पर वैश्विक सीमा और खतरनाक रसायनों पर नियंत्रण की मांग कर रहा है, अब तेल व पेट्रोकेमिकल उत्पादक एक समूह के खिलाफ खड़ा है, जो रीसाइक्लिंग, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को दर्शा रहे हैं। इस समूह में भारत भी शामिल है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक होने का दर्जा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन में लगभग बीस फीसदी हिस्सा भारत का है।

भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि इस दौरान चरणबद्ध समाप्ति की समय सीमा वाले उत्पादों या रसायनों की कोई वैश्विक सूची नहीं होनी चाहिए। भारत की दलील तार्किक है कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं पर उचित विचार किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पेट्रोकेमिकल क्षेत्र, माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण का भी एक प्रमुख स्रोत है।

लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस तरह के प्रदूषण का पारिस्थितिकीय तंत्र, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। खासकर हमारे शरीर पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से यह एक हकीकत है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में सार्थक प्रयास करने जरूरी हैं। इस संकट से मुकाबला करने के लिये भारत को समान विचारधारा व परिस्थितियों वाले चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। बहुत संभव है कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी साधन के रूप में कारगर सिद्ध हो सके, लेकिन इससे लोगों और पर्यावरण के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी कम नहीं हो सकती। बहुत संभव है कि प्रदूषणकारी उद्योगों पर कार्रवाई कड़ा संदेश दे सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार को पहचाने गए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध की प्रभावशीलता और उसके प्रवर्तन में कमियों का भी गंभीरता से आकलन करना चाहिए। इसके लिये जनजागरण अभियान चलाने की भी जरूरत है ताकि लोग प्लास्टिक के विकल्प अपनाने के प्रति उत्साह दिखाएं। अंततः सभी प्रमुख हितधारकों – केंद्र सरकार व राज्यों की सरकारें, जनता, उद्योग जगत को देश में प्लास्टिक के खतरनाक स्तर को कम करने में मदद करने के लिये आगे आना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सपना पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाए बिना पूरा नहीं हो सकता। यह हमारे पर्यावरण संरक्षण के अलावा नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है। लोगों को समझना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाने में उनका ही लाभ है। हम बाजार से सामान लाने में प्लास्टिक के थैलियों के इस्तेमाल के बजाय कपड़े या अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में भी प्लास्टिक संकट को एक विषय के रूप में अपनाना होगा। ताकि देश की भावी पीढ़ी प्लास्टिक के खतरों से अवगत हो। हमारी साझी पहल ही रंग ला सकती है।

भौतिकविदों ने एक नए प्रोटॉन मैजिक नंबर की पहचान की है

विजय गर्ग

हाल ही में, भौतिकविदों ने 14 की एक नई प्रोटॉन जादू संख्या की पहचान की है, जो अत्यधिक अस्थिर, न्यूट्रॉन-कमी आइसोटोप सिलिकॉन -22 में देखी गई है। यह खोज 2, 8, 20, 28, 50 और 82 के पहले से ज्ञात प्रोटॉन मैजिक नंबरों को जोड़ती है।

जबकि स्थिर और लंबे समय तक रहने वाले नाभिक के लिए जादू की संख्या अब अच्छी तरह से स्थापित है, विदेशी, अल्पकालिक लोगों के लिए असामान्य प्रोटॉन-न्यूट्रॉन अनुपात के साथ तुलनात्मक रूप से कम समझ में आते हैं। क्या इन अत्यधिक अस्थिर नाभिक में उनके अधिक स्थिर समकक्षों के समान जादू की संख्या है? या वे अलग हैं?

मैजिक नंबर क्या हैं? परमाणु भौतिकी में, जादू की संख्या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को संदर्भित करती है जो एक परमाणु नाभिक को असाधारण रूप से स्थिर बनाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, परमाणु शेल मॉडल के अनुसार, ये संख्याएं नाभिक के भीतर एक ₹शेलर₹ या ऊर्जा स्तर की पूरी तरह से भरने के अनुरूप हैं। यह इस बात का अनुरूप है कि महान गैसें कितनी स्थिर हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन गोले भरे हुए हैं। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की एक जादुई संख्या

के साथ नाभिक अधिक स्थिर होते हैं और आवधिक तालिका पर अपने पड़ोसियों की तुलना में प्रति नाभिक एक उच्च बाध्यकारी ऊर्जा होती है। जब एक नाभिक में प्रोटॉन की एक जादुई संख्या और न्यूट्रॉन की एक जादुई संख्या दोनों होती है, तो इसे ₹दोगुना जादू₹ माना जाता है और यह असाधारण रूप से स्थिर होता है, जैसे हीलियम -4 (2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन) या लीड -208 (82 प्रोटॉन, 126 न्यूट्रॉन)।

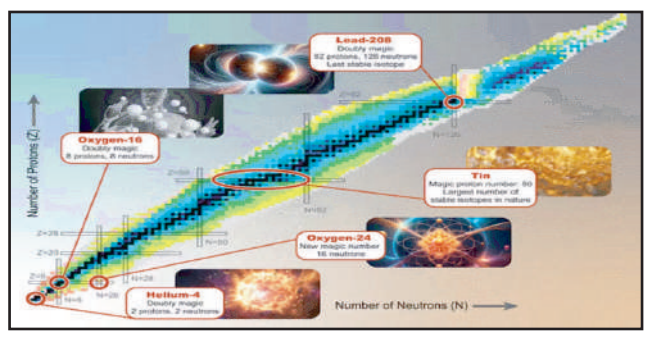

दर्पण नाभिक ऑक्सीजन -22 (14 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन) पर माप के बाद पता चला कि 14 इस न्यूट्रॉन-समृद्ध आइसोटोप के लिए न्यूट्रॉन की एक जादुई संख्या है, शिकार एक प्रोटॉन-समृद्ध समकक्ष के लिए था। परमाणु भौतिकी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे आइसोस्पिन समरूपता के रूप में जाना जाता है, बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परस्पर संख्या वाले नाभिक में समान विशेषताएं होंगी। इन 'मिरर' नाभिक के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जादू की संख्या, जैसा कि वे जानते हैं, इसलिए समान होने की उम्मीद है। IMP टीम के सदस्य युहू झांग कहते हैं, ₹सभी नए न्यूट्रॉन से भरपूर डबल-मैजिक नाभिक की खोज की गई, ऑक्सीजन -22 के लिए केवल एक शिथिल बाउंड मिरर न्यूक्लियस मौजूद है।₹ ₹यह सिलिकॉन -22 है डिस्कवरी का महत्व एक नए प्रोटॉन मैजिक नंबर की खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परमाणु नाभिक की मौलिक संरचना और इसे नियंत्रित करने वाली ताकतों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

परमाणु शैल मॉडल का विस्तार करता है: पारंपरिक जादू संख्या स्थिर, स्वाभाविक रूप से होने वाले समस्थानिकों के आधार पर स्थापित की गई थी। सिलिकॉन -22 जैसे विदेशी, न्यूट्रॉन-कमी वाले नाभिक में एक नए जादू की संख्या की खोज से पता चलता है कि नाभिक की खोल संरचना चरम स्थितियों के तहत बदल सकती है, जो पिछली मान्यताओं को चुनौती देती है।

विदेशी नाभिक को समझना: इन अस्थिर, ₹विदेशी₹ नाभिक में अनुसंधान, जो न्यूक्लिड्स के चार्ट पर ₹स्थिरता की घाटी₹ से दूर मौजूद है, वैज्ञानिकों को सुपरनोवा जैसी ब्रह्मांडीय घटनाओं के दौरान तत्वों के निर्माण में खेलने वाली ताकतों को समझने में मदद करता है।

भविष्य की भविष्यवाणियों में एड्स: बेहतर समझ से कि जादू की संख्या कैसे विकसित होती है, वैज्ञानिक अन्य अनदेखा या नए संश्लेषित सुपरहेवी तत्वों के गुणों और स्थिरता की अधिक सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, संभावित रूप से भविष्यवाणी की गई ₹स्थिरता के द्वीप₹ की खोज का मार्गदर्शन करते हैं जहां लंबे जीवनकाल के साथ सुपरहेवी तत्व मौजूद हो सकते हैं।

वैज्ञानिक को अनुसार ऋग्वेद ने भारत के बाहर सभ्यताओं को प्रभावित किया

विजय गर्ग

ऋग्वेद और इसके छंद, इसके संगीत नोट्स और ताल, अन्य सभ्यताओं तक पहुंचे और उन्हें कांस्य युग की अन्य संस्कृतियों में साझा किया गया। एक वैज्ञानिक ने इस बात का प्रमाण पाया है कि भूमध्य सागर में लिखे गए 3,000 वर्षीय भजन में वैदिक छंदों के साथ समानता है। कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने शुरुआती प्रमाणों में से एक पाया है कि वैदिक संस्कृति भारत तक सीमित नहीं थी। साक्ष्य संगीत में निहित है, जैसा कि एक अध्ययन में बताया गया है कि 3,000 साल पहले भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर लिखा गया एक भजन ऋग्वेद के साथ हड़ताली समानताएं साझा करता है, जो सबसे पुराने भारतीय पवित्र ग्रंथों में से एक है। दान सी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा के बीऔऐसीआईयु, प्रीप्रींट.उआरजी सर्वर पर अपने तुलनात्मक विश्लेषण प्रकाशित किया । उनका कहना है कि उगारित और ऋग्वेद की आयतों में लिखे गए निक्कल के भजन ने एक ही ताल, या बार-बार मधुर या लयबद्ध इकाइयों को साझा किया। शोधकर्ता ने काम के दो निकायों के बीच समानताएं खींचने के लिए कंप्यूटर की सहायता प्राप्त लय और मेलोडी मैपिंग का उपयोग किया। उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा है कि पाँच ऋग्वेद में से एक आयत उसी ताल के साथ समाप्त होती है जो भजन से लेकर निक्कल तक होती है। यह पेचीदा बनाता है कि, उसके अनुसार, दुर्घटना से होने वाली इस बाधाओं को एक मिलियन में एक से कम है। भूमध्य सागर में लिखे गए एक में, दो ताल हैं - एक सरल और दिल की धड़कन की तरह, और एक और जटिल बीऐसीआईयु का कहना है कि दोनों मॉडल ऋग्वेद के छंदों में भी मौजूद हैं, 'एक सबसे अधिक बार समाप्त होने वाले छंदों के साथ और दूसरा त्रिशुभ मीटर से निकटता से जुड़ा हुआ है,'

संगीत से जुड़े राज्य, सभ्यताओं के समाप्त होने के बाद भी जीवित रहे जबकि उनमें से एक सरल है, दूसरा जटिल है, और बासीयू का कहना है कि यह जानबूझकर किया गया था। साझा लय के अलावा, गूँजती हुई मधुर प्रवृत्तियाँ भी हैं, जिन्हें ₹ऋग्वेद पर प्राचीन टिप्पणीकारों ने उच्चारण सिलेबल्स पर बढ़ते और उसके बाद गिरने के रूप में वर्णित किया।₹ एक डिजिटल पुनर्निर्माण से पता चला कि दो टुकड़े कितने चौंकाने वाले थे। बासीयू की खोज से पता चलता है कि संगीत को विभिन्न संस्कृतियों में साझा किया गया था और शाही फरमान और राजनीतिक गठबंधनों की तुलना में तेजी से फैल गया था। वास्तव में, राज्यों के गायब होने के बाद भी, संगीत कायम रहा। उगारिट ने मेसोपोटामियन और अनातोलियन संस्कृतियों को जोड़ा, और इतिहासकारों का कहना है कि मितानी साम्राज्य ने उगारित और भारत के बीच एक सांस्कृतिक पुल के रूप में कार्य किया। माना जाता है कि इस कांस्य युग के राज्य ने उस चैनल के रूप में काम किया है जिसके माध्यम से वैदिक परंपराओं और संगीत रूपों का आदान-प्रदान किया गया था। यह भी पढ़ेंः मास्की शिलालेख के 110 साल बाद, कर्नाटक शहर में 4,000 साल पुरानी मानव बस्ती मिली

ऋग्वेद संगीत ताल ग्रीक कविता तक पहुंचा बासीयू ने अपने पेपर में लिखा, 'मितानी ने हमें दो उपहार छोड़ दिए। भारत के बाहर वैदिक संस्कृति का पहला प्रमाण है। दूसरा यह भजन है, जो दर्शाता है कि कैसे संगीत सभ्यताओं को एकजुट करने में सक्षम था।' उनका कहना है कि संगीत की ताल फैलती चली गई, सैकड़ों साल बाद ग्रीक गीत की कविता में इसी तरह के पैटर्न देखे जा रहे थे. साफो के काम, यूरोपीय साहित्य के टुकड़े, और 1801 में जर्मन कवि फ्रेडरिक हॉल्डरलिन के छंद सभी एक ही संगीत पैटर्न ले जाते हैं। बासीयू के शोध से पता चलता है कि संगीत पहली वैश्विक भाषा थी, और उन धारणाओं को चुनौती देता है जो सभ्यता अलगाव में मौजूद थीं।

भारत की एमबीबीएस और एमडी / एमएस सीट बूम भविष्य के डॉक्टरों के लिए इसका क्या मतलब है

विजय गर्ग

चिकित्सा शिक्षा भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ है, जो राष्ट्रव्यापी डॉक्टरों की उपलब्धता और गुणवत्ता को आकार देती है। पिछले पांच वर्षों में, देश ने स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (पीजी) दोनों सीटों पर एक महत्वपूर्ण विस्तार देखा है। यह वृद्धि एक महत्वपूर्ण प्रश्न का संकेत देती है: चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, पहुंच और वितरण के लिए क्षमता में इस वृद्धि का क्या अर्थ है? एमबीबीएस और पीजी सीट क्षमता का विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत हालिया आंकड़ों से चिकित्सा सीटों में आश्चर्यजनक वृद्धि का पता चलता है। आंकड़ों के अनुसार, भारत की एमबीबीएस सीटें 2020-21 में 83,275 से बढ़कर 2024-25 में 115,900 हो गई हैं, जो 39% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्नातकोत्तर सीटें अब कुल 53,960, सरकार में 30,029 और निजी संस्थानों में 23,931 हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय सहित छोटे पूर्वोत्तर राज्यों ने भी क्षेत्रीय इक्विटी में सुधार करने की क्षमता का विस्तार किया है। राज्य 2020-21 सीटें 2024-25 सीटें बढ़ती हैं उत्तर प्रदेश 7,428 12,325 4,897 तमिलनाडु 8,000 12,000 4,000 कर्नाटक 9,345 12,194 2,849 महाराष्ट्र 9,000 11,844 2,844 गुजरात 5,700 7,000 1,300 अरुणाचल प्रदेश 100 250 150 मणिपुर 250 400 150 नागालैंड 150 300 150 मेघालय 150 300 150 यह वृद्धि क्षेत्रीय इक्विटी में सुधार करते हुए क्षमता के विस्तार पर एक रणनीतिक ध्यान को दर्शाती है। क्षमता विस्तार के बीच रिक्ति पैटर्न क्षमता में इस उछाल के बावजूद, एम्स और जिपमर के बाहर कॉलेजों में एमबीबीएस की हजारों सीटें अधूरी रहती हैं। उदाहरण के लिए, एमउएच डेटा से पता चलता है कि 2021-22 में 2,012 सीटें, 2022-23 में 4,146, 2023-24 में 2,959 और 2024-25 में 2,849 सीटें खाली थीं। ये रिक्तियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि अकेले विस्तार इष्टतम उपयोग की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि सामर्थ्य, परामर्श जटिलताओं और क्षेत्रीय असमानताओं जैसे कारक सीट आवंटन को प्रभावित करते हैं। सरकारी सीटों से चूक जाने वाले उम्मीदवारों के लिए निजी चिकित्सा शिक्षा सीमा की उच्च लागत। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श प्रक्रियाएं अक्सर जटिल और विलंबित होती हैं, जो अक्षम आवंटन में योगदान देती हैं। हाशिए पर या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अक्सर मार्गदर्शन की कमी होती है, जबकि स्थापित कॉलेजों के लिए वरीयता आवेदकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करने वाले नए संस्थानों को छोड़ देती है। नियामक और सरकारी पहल विकास का समर्थन करती है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (ऐनएमसी) यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि गुणवत्ता मात्रा के साथ गति बनाए रखे। इस वर्ष लगभग 8,000 नई एमबीबीएस (यूजी) और एमडी / एमएस (पीजी) सीटें अपेक्षित हैं, निरीक्षण और मान्यता के साथ संकाय, बुनियादी ढांचे और नैदानिक संसाधन मानकों को बनाए रखने के लिए मजबूत किया गया है। क्लिनिकल एक्सपोज़र को बेहतर बनाने के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों के बीच सहयोग का भी पता लगाया जा रहा है। इस बीच, सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्टेकहोल्डर परामर्श के साथ नेशनल एग्जिट टेस्ट की योजना बनाई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के लिए निहितार्थ सीटों का विस्तार भारत के स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को मजबूत करने का अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। तेजी से विकास के बीच उच्च शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करना, एनईअकशटी जैसे ढांचे के लिए छात्रों को तैयार करना, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से डॉक्टरों को वितरित करना प्रमुख चिंताएं हैं। अभिनव शिक्षण मॉडल और उन्नत बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने से प्रशिक्षण में योग्यता और एकरूपता में सुधार हो सकता है।

धर्म के निहितार्थ

विवेक रंजन श्रीवास्तव

मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज जब किसी नगर की सुबह का आलोक बन जाती है तो लगता है जैसे मनुष्य ने अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर जीवन की पहली सांस ली हो किन्तु यही नगर जब सामूहिक प्रार्थना की गूंज से भर जाता है और उसी गूंज के बीच किसी भूखे बच्चे का रुदन, किसी मजदूर की हांफती कराह, या किसी दलित की टूटी हुई पुकार सुनाई नहीं देती, तब प्रश्न उठता है कि हमारी भक्ति की दिशा क्या केवल पत्थर की मूर्तियों की ओर है या जीवित मनुष्यों की ओर भी मुड़ती है।

भारत का इतिहास ऐसा है कि हमने वृक्षों में देवत्व खोजा, नदियों को मां कहा, पर्वतों को पूज्य माना, अग्नि और सूर्य को आराध्य स्वीकारा। यह हमारी संस्कृति का उज्ज्वल पक्ष है किंतु यही परंपरा जब मानव के भीतर के देवत्व को भूल जाती है तो वह विकृति बन जाती है। इस विडंबना का सबसे तीखा रूप हमें समाज में स्त्रियों की स्थिति देखकर मिलता है। देवी के रूप में पूजित नारी, जब धरती पर बेटी बनकर आती है, तो उसकी कद्र आधी रह जाती है। यह विरोधाभास हमारे ही घर आंगन में पलता है।

मनुष्य की गरिमा का सबसे बड़ा पैमाना यह होना चाहिए कि वह अपने बराबर वाले मनुष्य के प्रति कितना आदर रखता है परंतु यहाँ तो जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, धन और वंश के नाम पर ऊंच-नीच की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। पूजा का दीपक मंदिर की देहरी पर तो जलता है किंतु घर के भीतर बहू की आंखों में अक्सर वही दीपक बुझा-बुझा सा दिखता है। नदियों के घाट पर हम कलश चढ़ाते हैं लेकिन उन्हीं नदियों को गंदगी से भरने में कोई संकोच नहीं करते। पर्वतों को प्रणाम करते हैं और उनके सीने को विस्फोटों से छलनी कर डालते हैं। प्रकृति से लेकर मनुष्य तक, हम जिसे पूजते हैं उसे ही आहत भी करते हैं।

ऐसा लगता है मानो हमारे भीतर एक दोहरा व्यक्तित्व बसा हुआ है। एक ओर हम प्रार्थना में गला भर लेते हैं, दूसरी ओर पास बैठे इंसान की पीड़ा को अनसुना कर देते हैं। यह विरोधाभास हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर पूजा केवल अनुष्ठान बनकर रह जाए, और जीवन के आचरण में न उतर पाए, तो उसका अर्थ खो जाता है।

सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम वृक्ष में तो देवत्व देखें ही, साथ ही उस छांव में बैठने वाले थके मजदूर की गरिमा भी पहचानें। नदी को मां कहें तो उसके तट पर जल पीते बच्चे की प्यास भी मिटाएं। स्त्री को देवी कहें तो उसे मनुष्य के रूप में बराबर हक और सम्मान भी दें। यही वह संगति है जिसमें पूजा और व्यवहार एक हो जाते हैं।

दरअसल, धर्म का सौंदर्य तब प्रकट होता है जब वह मंदिर से निकलकर जीवन की गलियों में उतरे, जब वह आरती के साथ-साथ आचरण में भी झलके। यही हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। वरना कहीं ऐसा न हो कि हमारी सभ्यता की ध्वनि केवल घंटियों तक सीमित रह जाए और उसके पार का मौन हमें शर्मसार करता रहे।

अकेलापन,जीवन और जीवन का अंतिम पड़ाव

यह एक बहुत ही दर्दनाक और वास्तविकता भरा सच हैकि एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, अपने परिवार और बच्चों के लिए त्याग करता है, लेकिन आखिर में जब वह अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसके अपने ही उसके कामों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनकी कद्र नहीं करते।

इससे इंसान को न केवल दुख होता है, बल्कि वह टूट भी जाता है। उसके पास कुछ नहीं बचता, न तो मेहनत का फल और न ही अपने प्रियजनों का प्यार। यह एक कड़वी सच्चाई है जो बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में झेलनी पड़ती है। आज भी कई लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। ये एक गहरा दर्द और एहसास है जो बहुत से लोगों के दिलों की आवाज है। जो उसे ख़ामोशी से बर्दाश्त करने को मजबूर हैं, क्या करें कहां जाए कोई रास्ता नहीं।

दर्द का विश्लेषण करने पर, यह समझ में आता है कि यह एक गहरा दर्द है,और जटिल भावना है जो कई कारकों से प्रभावित होती है।

अप्रेसीएशन,,,,जब एक इंसान की मेहनत और त्याग को उसके परिवार और बच्चों द्वारा पहचाना नहीं जाता है, तो इससे उसे लगता है कि उसकी मेहनत बेकार गई है।

अकेलापन,,,जब एक इंसान अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसे लगता है कि वह अकेला है और उसके पास कोई नहीं है जो उसकी भावनाओं को समझ सके।निराशा,,,जब एक इंसान की उम्मीदें और सपने टूट जाते हैं, तो इससे उसे निराशा और हताशा का अनुभव होता है।इस दर्द को कम करने के लिए, यह जरूरी है कि हम अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को साझा करें। साथ ही, हमें अपने परिवार और बच्चों को भी समझाना होगा कि हमारी मेहनत और त्याग का महत्व क्या है।

ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

बातचीत,,,,अपने परिवार और बच्चों के साथ खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को साझा करें। इससे उन्हें आपकी भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से बताएं। इससे आपके परिवार और बच्चों को पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए।अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताएं और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी।

अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इससे आपको अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद मिलेगी।

इन कदमों से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने परिवार और बच्चों के साथ मजबूत रिश्ते बना सकते हैं।

डॉ. मुस्ताक अहमद शाह

सुरक्षित समाज की राह : गेमिंग बिल संग पोर्न पर सख्ती

[युवा शक्ति की रक्षा : हिंसक गेमिंग और पोर्न पर भी रोक जरूरी]

डिजिटल युग ने हर घर को नई संभावनाओं से जोड़ा है, मगर इस चमक के पीछे कुछ गहरे खतरे भी छिपे हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने शिक्षा, संचार और मनोरंजन के रास्ते खोले, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत और अश्लील सामग्री का बढ़ता प्रसार युवा पीढ़ी को गंभीर खतरे में डाल रहा है। पबजी, फ्री फायर जैसे हिंसक गेम्स और अनियंत्रित वेबसाइटें न केवल मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी कमजोर कर रही हैं। यह महज मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक संकट है। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग बिल के साथ-साथ हिंसक और अश्लील सामग्री पर सख्त नियंत्रण लागू करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, ताकि हमारी युवा शक्ति सुरक्षित रहे और डिजिटल भारत का भविष्य उज्ज्वल हो।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 2025 तक 32,000 करोड़ रुपये का विशाल बाजार बन चुका है, जिसमें 45 करोड़ लोग शामिल हैं। लेकिन इस तेजी के साथ जोखिम भी बढ़े हैं। हिंसक गेम्स युद्ध और हिंसा को आकर्षक बनाकर बच्चों में आक्रामकता और असंवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग की लत को मानसिक स्वास्थ्य विकार घोषित किया है। भारत में कई दिल दहलाने वाली घटनाएं, जैसे 2021 में उत्तर प्रदेश में एक किशोर की गेमिंग असफलता के बाद आत्महत्या, इस खतरे की गंभीरता को दर्शाती हैं। ये गेम्स मनोरंजन के बजाय मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे हैं।

गेमिंग उद्योग का आर्थिक और सामाजिक नुकसान चिंताजनक है। "नेक्स्ट लेवल" और आभासी पुरस्कारों का लालच खिलाड़ियों को जाल में फंसाता है, जिससे हर साल 45 करोड़ लोग मनी गेम्स में 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं। यह न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत को नष्ट कर रहा है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण जैसे अपराधों को भी बढ़ावा दे रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत को नष्ट कर रहे हैं। प्रस्तावित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, लेकिन हिंसक गेम्स पर सख्त रोक भी जरूरी है।

इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का बढ़ता प्रसार भी गंभीर संकट पैदा कर रहा है। भारत के 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में युवा और किशोर बड़ी संख्या में शामिल हैं। सस्ते स्मार्टफोन्स ने बच्चों के लिए ऐसी सामग्री तक पहुंच आसान कर दी है। एक अध्ययन के मुताबिक, 13-17 वर्ष की आयु के 30% बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं, जो उनकी मानसिकता को दूषित करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2023 के आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर अपराधों में 24% की वृद्धि हुई, जिसमें अश्लील सामग्री से जुड़े अपराध प्रमुख हैं। यह सामग्री न केवल व्यक्तियों को भावनात्मक और सामाजिक रूप से अस्थिर करती है, बल्कि यौन अपराधों और पारिवारिक रिश्तों में तनाव को भी बढ़ाती है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल को व्यापक और प्रभावी बनाना समय की मांग है। इसमें हिंसक गेम्स और अश्लील सामग्री पर कठोर कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। एक राष्ट्रीय गेमिंग अथॉरिटी स्थापित कर गेम्स का वर्गीकरण और नियमन सुनिश्चित करना होगा। साइबर सेल को सशक्त कर अश्लील वेबसाइटों पर तत्काल रोक लगानी होगी। उल्लंघनकर्ताओं के लिए 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने जैसे कड़े दंड निर्धारित किए जाएं। गेमिंग कंपनियों को पैरेंटल कंट्रोल और उम्र-आधारित प्रतिबंध लागू करने के लिए अनिवार्य करना होगा।

कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। माता-पिता को बच्चों के डिजिटल उपयोग पर सतर्कता बरतनी होगी। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएं। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन को और तेजी से लागू करना होगा। बच्चों को हिंसक गेम्स के बजाय कोडिंग, ई-लर्निंग जैसे रचनात्मक और सकारात्मक क्षेत्रों की ओर प्रेरित करना जरूरी है। 2023 में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर 15 लाख शिकायतें दर्ज हुईं, जो साइबर अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। साइबर सेल को अधिक संसाधन और अधिकार देकर इसे और प्रभावी बनाना होगा।

भारत की 65% आबादी, जो 35 वर्ष से कम उम्र की है, देश का भविष्य है। लेकिन हिंसक गेम्स और अश्लील सामग्री इस युवा शक्ति को तबाह करने का खतरा पैदा कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को हिंसक और अश्लील सामग्री पर कठोर रोक के साथ तत्काल लागू करना होगा। तकनीक को रोकना संभव नहीं, लेकिन इसके हानिकारक प्रभावों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। सख्त कानून, सशक्त साइबर सेल और व्यापक जागरूकता के सहयोग से हम एक सुरक्षित डिजिटल समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह केवल कानूनी कदम नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

इतिहास के पुनर्लेखन की चुनौती

गजेंद्र सिंह

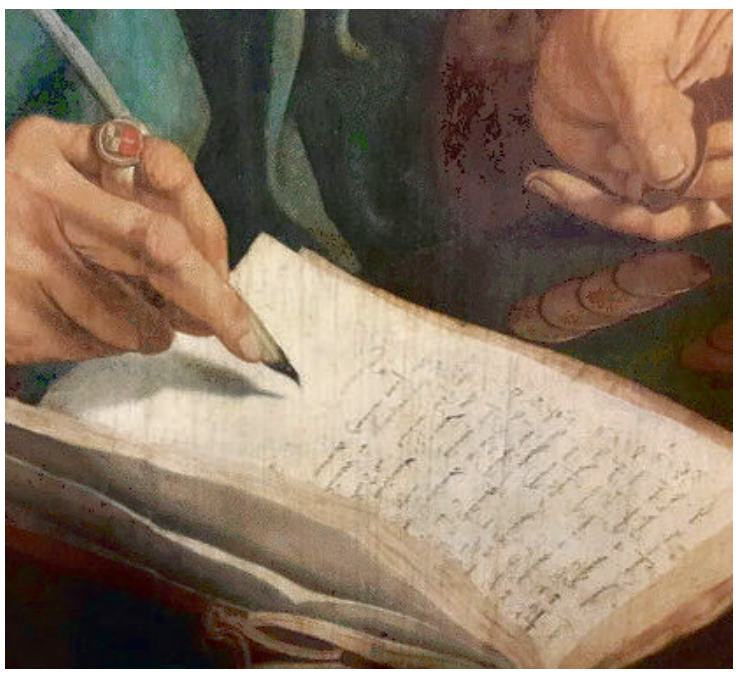

भारतीय सभ्यता के हजारों वर्षों के इतिहास में बाहरी आक्रांताओं, संघर्षों और पुनर्निर्माण की एक लंबी गाथा छिपी है। राजधानी की सड़कों से लेकर शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना केवल औपचारिक बदलाव नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक चेतना को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। इसी पृष्ठभूमि में देश की एक महत्वपूर्ण संस्था एनसीईआरटी ने स्कूली इतिहास पुस्तकों का पुनर्लेखन किया और 1500 वर्षों के लंबे कालखंड को 30 पन्नों में लिखा है। प्रकाशित पाठ्यक्रम, वर्णित नक्से और कालखड के लिए निर्धारित पृष्ठ संख्या इनदिनों चर्चा में है। राजस्थान के राज परिवारों - जैसलमेर के चैतन्यराज सिंह भाटी , बूंदी के ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह हाडा, मेवाड़ राजपरिवार और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और मेवाड़ राजघराने की सदस्य और बीजेपी सांसद महिमा कुमारी ने इस इतिहास लेखन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे हटाने की मांग की है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है— क्या इन 30 पन्नों के ₹सीखने के प्रतिफल₹ वास्तव में इतिहासपरक थे? क्या इनका उद्देश्य केवल किसी एक काल-गणना को उकेरना था? यह केवल प्रकाशन का प्रश्न नहीं बल्कि पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षा शास्त्र और शिक्षा के उद्देश्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा है । राजस्थान से उठी यह चिंता— कि इतिहास को विकृत कर प्रस्तुत किया जा रहा है— शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से कुछ गंभीर सवाल यह है कि- क्या इन 30 पन्नों की सामग्री विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति जिज्ञासा भावना उत्पन्न करती है? क्या इसमें भारतीय सभ्यता के विभिन्न कालखंडों को कालक्रमानुसार शामिल किया गया है जिनमें संस्थापक, प्रमुख योगदान और उस समय की राजव्यवस्था का विवरण है? क्या इसमें उस काल के व्यापार-विनिमय, रोजगार के साधन, उद्योग-धंधे और गुरुकुल व्यवस्था से संबंधित प्रामाणिक जानकारी दी गई है? क्या इसमें उस युग के महत्वपूर्ण आक्रमणों, युद्धों और संधियों को समाविष्ट कर एक सुसंगत ऐतिहासिक दस्तावेज़ तैयार किया गया है? क्या इसमें उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कानूनी ढांचा, नागरिक अधिकार, तथा महिला और दलित अधिकारों का उल्लेख है? क्या इसमें उस युग के प्रमुख व्यक्तित्वों, उनके आविष्कारों, सामाजिक आंदोलनों और साहित्यिक रचनाओं और कृतियों का संक्षिप्त लेकिन प्रभावी परिचय शामिल है?

इतिहास के विभिन्न राजवंशों को दिए गए पृष्ठों का अनुपात चौंकाने वाला है— राजपूत राजवंश, जिसने लगभग 8वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यानी लगभग 1200 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तृत भूभाग में शासन किया, को पाठ्यक्रम में मात्र 2 पृष्ठ दिए गए हैं जबकि इस काल में सुव्यवस्थित राजव्यवस्था, न्यायपालिका, कर प्रणाली, और मुद्रा प्रचलन की स्पष्ट व्यवस्था थी। किलों, दुर्गों, नगरों और व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। प्रशासन स्थानीय स्वायत्तता व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें छोटे रजवाड़े केंद्रीय राजवंश के अधीन होकर शासन करते थे। राजपूत काल भारतीय कला और संस्कृति के स्वर्ण युगों में से एक था। विशाल मंदिर, जैसे—दिलवाड़ा जैन मंदिर (माउंट आबू), सूर्य मंदिर (मोडेरा), कोणार्क शैली के मंदिर, और मेवाड़ के एकलिंगजी मंदिर—राजपूत स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। इस युग में भक्ति आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। मीराबाई, दादू दयाल, संत रैदास जैसे संतों ने सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण का नेतृत्व किया। संगीत, नृत्य और चित्रकला (विशेषकर राजस्थानी और पहाड़ी शैली) का विकास हुआ। राजपूतों ने केवल अपनी भूमि की रक्षा ही नहीं की, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विरासत को भी सुरक्षित रखा।

ऑनलाइन गेमिंग बिल : "मनोरंजन, रोजगार और सामाजिक ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन की तलाश"

लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लेकर गहन बहस हुई। सरकार ने इसे समाज में जुए और लत जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए आवश्यक बताया, जबकि विपक्ष ने इसे रोजगार और उद्योग पर चोट मानते हुए संशोधन की माँग रखी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिल केवल रियल-मनी गेमिंग और सट्टेबाज़ी पर रोक लगाता है, जबकि ई-स्पोर्ट्स और कौशल आधारित खेलों को प्रोत्साहित करेगा। कुछ सांसदों ने युवाओं की मानसिक सेहत और परिवारों की सुरक्षा पर चिंता जताई, वहीं उद्योग से जुड़े हितों पर विशेष समिति गठित करने का सुझाव आया।

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत में डिजिटल क्रांति के बाद से मोबाइल और इंटरनेट ने जिस तरह लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग का संसार सबसे अधिक आकर्षक और विवादित रहा है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच, तेज़ इंटरनेट और युवाओं के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता ने इस क्षेत्र को तेजी से विस्तार दिया है। लेकिन जहाँ एक ओर ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित खेलों ने भारत को विश्व मानचित्र पर जगह दिलाई है, वहीं दूसरी ओर पैसे के दाँव पर खेले जाने वाले खेल, बेटिंग ऐप्स और जुए जैसी प्रवृत्तियों ने समाज और सरकार दोनों को चिंतित किया है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है। यह बिल न केवल आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भविष्य में भारत की डिजिटल नीति की दिशा भी तय करेगा।

यह बिल स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी वास्तविक धन पर आधारित गेमिंग या ऑनलाइन सट्टेबाज़ी प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही ऐसे खेलों के विज्ञापन, प्रचार और वित्तीय लेन-देन पर भी रोक लगाने का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब है कि बैंक और वित्तीय संस्थान किसी भी रूप में ऐसे खेलों से जुड़े लेन-देन को प्रोसेस नहीं करेंगे। इस प्रावधान से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसे के लालच में जुए जैसी प्रवृत्तियाँ समाज में न फैलें।

परंतु इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित गैर-आर्थिक गेमिंग को बढ़ावा देता है। सरकार ने साफ किया है कि उसे खेल के रूप में ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना है। आने वाले समय में ₹नेशनल ई-स्पोर्ट्स अथॉरिटी₹ जैसी संस्था की स्थापना की जा सकती है, जो ई-स्पोर्ट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधि बनाने की दिशा में काम करेगी। यह कदम न केवल डिजिटल खेलों को वैधता देगा बल्कि उन लाखों युवाओं को भी अवसर देगा जो गेमिंग को कैरियर बनाना चाहते हैं।

इस बिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को केंद्रीय नियामक की भूमिका सौंपी गई है। मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि वह गैर-पंजीकृत या अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सके। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से बचाने के उद्देश्य से की गई है। भारत में अब तक ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम अलग-अलग राज्यों में अलग थे। कहीं इसे वैध माना गया तो कहीं प्रतिबंधित। ऐसे में एक राष्ट्रीय स्तर की रूपरेखा बनाना समय की मांग थी।

यह बिल केवल नियम-कानून का दस्तावेज़ नहीं है बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग और वास्तविक धन से जुड़े खेलों की लत ने कई युवाओं की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। कई मामलों में लोगों ने कर्ज़ लेकर खेला और परिवार तबाह हो गए। बच्चों में भी मोबाइल गेम्स की लत मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही है। सरकार को यह भी एहसास है कि इस समस्या को रोकना उतना ही ज़रूरी है जितना मादक पदार्थों की लत को रोकना। कई विशेषज्ञों ने तो इसे नशे से भी खतरनाक बताया है क्योंकि यह बिना किसी भौतिक पदार्थ के सीधे दिमाग़ पर नियंत्रण कर लेती है।

हालाँकि उद्योग जगत का पक्ष बिल्कुल अलग है। गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि इस बिल से लगभग दो लाख नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है और सरकार को हर साल मिलने वाले बीस हज़ार करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व पर भी असर पड़ सकता है। ₹ड्रीम11₹, ₹गेम्स24x7₹, ₹विन्ज़ो₹ जैसी कंपनियाँ लंबे समय से करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि घरेलू प्लेटफॉर्म को पूरी तरह रोक दिया गया तो उपयोगकर्ता विदेशी और ऑफशोर प्लेटफॉर्म की ओर रुख करेंगे, जहाँ न तो सरकार का कोई नियंत्रण होगा और न ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा। इससे उल्टा नुकसान ही होगा।

इस बहस में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। सरकार का तर्क है कि समाज को जुए और नशे की लत से बचाना ज़रूरी है, वहीं उद्योग जगत मानता है कि यह क्षेत्र देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है और इसे खत्म करना युवाओं के रोजगार और नवाचार दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। असली चुनौती यही है कि सही संतुलन कैसे कायम किया जाए।

बिल के समर्थकों का कहना है कि इस कदम से न केवल सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देकर भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत सकता है, जैसा कि हमने बैडमिंटन, कुश्ती या क्रिकेट में देखा है। इसके अलावा गैर-आर्थिक गेम्स को बढ़ावा देने से बच्चों का मनोरंजन भी सुरक्षित दायरे में रहेगा।

दूसरी ओर आलोचकों का मानना है कि सरकार को ₹पूर्ण प्रतिबंध₹ की बजाय ₹कड़े नियमन₹ का रास्ता चुनना चाहिए था। यदि धन-आधारित गेमिंग को लाइसेंस प्रणाली और कड़े कराधान के तहत नियंत्रित किया जाता तो न केवल सरकार को राजस्व मिलता बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी बनी रहती। पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से समस्या यह है कि लोग भूमिगत या विदेशी प्लेटफॉर्म की ओर भागेंगे और सरकार का नियंत्रण और भी कमजोर हो जाएगा।

यह बहस केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व के कई देशों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में इसे सख्त नियमों और टैक्स प्रणाली के तहत वैध किया गया है। वहीं चीन जैसे देशों ने बच्चों के लिए गेमिंग के समय पर ही पाबंदी लगा दी है। भारत ने अब तक इस दिशा में कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई थी, यही कारण है कि राज्यों के स्तर पर भ्रम और असमानता बनी रही।

अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? यह बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और संभव है कि इसमें संशोधन हों। उद्योग जगत की चिंताओं को देखते हुए सरकार कुछ नरमी दिखा सकती है। उदाहरण के लिए ₹फैंटेसी स्पोर्ट्स₹ को कौशल-आधारित खेल मानकर सीमित अनुमति दी जा सकती है। इसी तरह कराधान और नियमन के ज़रिए सरकार और उद्योग के बीच समझौता हो सकता है।

परंतु एक बात तय है कि यह बिल भारत की डिजिटल यात्रा का अहम पड़ाव है। यह देश को यह सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक और समाज का संतुलन कैसे बनाया जाए। तकनीक अपने आप में न अच्छी है न बुरी, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। यदि ऑनलाइन गेमिंग युवाओं को कैरियर, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय पहचान दे सकती है तो यह सकारात्मक है। लेकिन यदि वही गेमिंग परिवारों को तोड़ दे, युवाओं को कर्ज़ में डुबो दे और अपराध को बढ़ावा दे, तो यह खतरनाक है।

इसलिए ज़रूरी है कि सरकार, उद्योग, समाज और परिवार – सभी मिलकर समाधान निकालें। अभिभावकों को बच्चों पर नज़र रखनी होगी, शिक्षा संस्थानों को डिजिटल साक्षरता सिखानी होगी, उद्योग जगत को आत्मनियंत्रण और पारदर्शिता अपनानी होगी और सरकार को नियमन और प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग बिल केवल एक कानून नहीं है, यह हमारे समाज के भविष्य की रूपरेखा है। यह हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या हम डिजिटल क्रांति को सिर्फ मनोरंजन और जुए का साधन बनने देंगे या इसे शिक्षा, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अवसर बनाएँगे। आने वाले वर्षों में यह बिल किस रूप में लागू होगा और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह बहस भारत के हर घर तक पहुँचेगी, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट अब हर जेब में है और गेमिंग हर उम्र की पसंद।

जीवन की लंबाई नहीं, ऊँचाई मायने रखती है–राजगुरु

[फाँसी का फंदा भी जिसे उत्सव लगा: शहीद राजगुरु]

कल्पना करें उस पल को, जब एक युवा, जिसकी उम्र मुश्किल से इक्कीस-बाईस वर्ष होगी, आँखों में आजादी का सपना लिए, चेहरे पर न डरने वाली हँसी और दिल में मातृभूमि के प्रति अटूट जुनून लिए, फाँसी के तख्ते की ओर इस तरह बढ़ता हो, मानो वह कोई उत्सव मनाने जा रहा हो। यह महज एक काल्पनिक चित्र नहीं, बल्कि शिवराम हरि राजगुरु की अमर गाथा है, जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अनूठे हास्य से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई चमक दी। उनकी जयंती पर जब हम उनके जीवन को स्मरण करते हैं, तो इतिहास के वे पन्ने सजीव हो उठते हैं, जो न केवल गौरव से भरे हैं, बल्कि आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का अखंड स्रोत हैं। राजगुरु का जीवन सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी ज्योति है, जो हमें आत्मबल, बौद्धिक गहराई और निर्भीकता का सबक देती है।

शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड़ा (अब राजगुरुनगर) में एक मध्यमवर्गीय मराठा परिवार में हुआ। बचपन साधारण रहा, पर सोच असाधारण थी। कम उम्र में बनारस जाकर उन्होंने संस्कृत और तर्कशास्त्र का गहन अध्ययन किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में पूछताछ के दौरान संस्कृत में जवाब देकर अंग्रेजों को चकित कर दिया, जो उनकी विद्वता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक था। राजगुरु केवल क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक विद्वान थे, जिन्होंने ज्ञान को राष्ट्रसेवा का हथियार बनाया।

राजगुरु का व्यक्तित्व केवल विद्वता तक सीमित नहीं था; उनकी शारीरिक शक्ति और अनुशासन भी अद्भुत थे। बनारस में ₹हनुमान प्रसारक मंडल₹ से जुड़कर उन्होंने कुश्ती, व्यायाम और आत्मरक्षा में निपुणता हासिल की। क्रांतिकारी आंदोलन के चरम पर उन्होंने अपने शरीर को लोहे-सा दृढ़ बनाया, जो किसी भी यातना को झेल सके। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस की यातनाओं का ज़िक्र किया। जवाब में राजगुरु ने चुपके से अंगीठी से जलती लोहे की छड़ उठाई और उसे अपने शरीर पर सात बार रखा, बिना दर्द की शिकन के। आज़ाद के चिंतित पूछने पर उन्होंने हँसते हुए कहा, "यातना शरीर को छू सकती है, आत्मा को नहीं।" यह उनकी अटूट सहनशक्ति और आत्मबल का प्रेरक उदाहरण है, जो इतिहास में कम ही उजागर हुआ। उनकी यह तपस्या ने साथियों में जोश का संचार किया।

राजगुरु की निशानेबाजी की कला अद्वितीय थी, जिसने उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन का नायाब सिपाही बनाया। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जॉन सांडर्स की हत्या की योजना में उनकी भूमिका उनकी अचूक निशानेबाजी के कारण थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (HSRA) ने उनकी सटीकता पर अटूट भरोसा जताते हुए उन्हें यह ज़िम्मेदारी सौंपी। भले ही गोली स्कॉट के बजाय सांडर्स को लगी, इस कार्रवाई ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। कार्रवाई के बाद राजगुरु की निर्भीक सहजता देखते बनती थी। उन्होंने हल्के अंदाज़ में कहा, निशाना सिर पर था, गोली सीने में लगी। यह हास्यबोध उनकी निर्भीकता का प्रतीक था। मृत्यु की छाया में भी उनकी हँसी अडिग रही, जो उनके साहस और जीवटता को दर्शाती है।

राजगुरु का हास्यबोध उनकी सबसे अनोखी विशेषता थी, जो उन्हें अन्य क्रांतिकारियों से अलग करता था। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनकी दोस्ती केवल क्रांति की साझेदारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो हँसी और आत्मीयता से भरा था। जेल में भी वे अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए मजाक करते। एक बार भूख हड़ताल के दौरान जब साथियों ने उनसे पूछा, "अगर तुम पहले मर गए तो?" तो राजगुरु ने ठहाका लगाते हुए कहा, "तो मैं वहाँ तुम्हारे लिए एक कमरा बुक कर दूँगा।" यह हल्का-फुल्का जवाब उस युवक की मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है, जो मृत्यु को भी एक खेल की तरह लेता था। उनकी सहजता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब सांडर्स हत्याकांड के बाद भगत सिंह और राजगुरु को भागना पड़ा। भगत सिंह और उनकी पत्नी दुर्गावती (जो साथ थीं) ने अंग्रेज साहब और मैम का वेश बनाया, जबकि राजगुरु ने नौकर की भूमिका निभाई। ट्रेन में उनका अभिनय इतना स्वाभाविक था कि अंग्रेज अधिकारी भी धोखा खा गए। यह उनकी चपलता और बुद्धिमानी का परिचय था, जो इतिहास में कम ही उजागर होता है।

लाहौर सेंट्रल जेल में राजगुरु का अटल आत्मबल कभी नहीं डिगा। भगत सिंह और सुखदेव के साथ उनकी बातचीत गंभीरता और हास्य का अनूठा संगम थी, जो जेल की दीवारों को उनके ठहाकों से गूँजने देती थी। फाँसी से कुछ घंटे पहले उन्होंने साथियों से कहा, जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, उसकी ऊँचाई में है। यह वाक्य उनके जीवन का सार है। महज 22 वर्ष की उम्र में राजगुरु ने ऐसी ऊँचाई छुई, जो आज भी हर दिल को प्रेरित करती है, साहस और बलिदान की अमर गाथा बनकर।

राजगुरु को प्रायः भगत सिंह और सुखदेव की छाया में देखा जाता है, किंतु यह एक भ्रांति है। वे उस त्रयी का अपरिहार्य अंग थे, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और गति प्रदान की। उनकी विद्वता, साहस और हास्यबोध ने इस त्रयी को पूर्णता दी। कम लोग जानते हैं कि जेल में राजगुरु ने संस्कृत में एक डायरी लिखी, जिसमें उनके गहन विचार झलकते थे। अफसोस, वह डायरी आज लुप्त है, पर यह उनके बौद्धिक सामर्थ्य का प्रतीक है।

उनकी जयंती पर हमें यह स्मरण करना होगा कि राजगुरु केवल क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा थे। उन्होंने सिखाया कि क्रांति केवल बारूद और बंदूकों का शोर नहीं, बल्कि ज्ञान, आत्मबल और हृदय की निर्मलता का संगम है। उनकी जिंदादिली और निर्भीकता आज की युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती है—जब तन, मन और हृदय एक लक्ष्य के लिए एकजुट हों, तो कोई बाधा अजेय नहीं। राजगुरु का जीवन हमें पुकारता है कि हम अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करें और असंभव को संभव बनाएँ।

23 मार्च 1931 को, जब राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव फाँसी के तख्ते पर चढ़े, उन्होंने न केवल अपनी जान कुर्बान की, बल्कि एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की जो आज भी धधक रही है। राजगुरु की निर्भीक मुस्कान, उनकी गहन विद्वता और उनकी प्रचंड ज्वाला हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता महज एक शब्द नहीं, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। उनकी गाथा कोई धूमिल इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रेरणा है, जो साहस, हास्य और ज्ञान के संगम से असंभव को संभव बनाने का संदेश देती है। उनकी अमरता मृत्यु में नहीं, बल्कि उस अखंड ऊर्जा में बसती है, जो आज भी हमारे हृदय में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्जवलित रखती है, हमें न झुकने की हिम्मत और न रुकने का हौसला देती है।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

स्वीडन ऐसा पहला देश है जिसके संविधान में सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया।

नरेश गुणपाल

विश्व में स्वीडन पहला ऐसा देश है जिसके संविधान में सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस मामले में भारत का संविधान उतनी आज़ादी प्रदान नहीं करता। जबकि स्वीडन के संविधान ने 250 वर्ष पूर्व सूचना की स्वतंत्रता की वकालत की गई है। जबकि भारत ने सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू किया। भारत में लागू इस कानून को देखते हैं तो कई बातें सामने आती हैं कि वर्ष, शुल्क, सूचना देने की समयावधि, अपील या शिकायत प्राधिकारी, जारी करने का माध्यम, प्रतिबन्धित करने का माध्यम आदि की तुलना जब एक प्रदत्त सारणी के माध्यम से की जाती है तो उसके गुणों-अवगुणों का भी पता चलता है। दरअसल, विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया।

बॉक्स- स्वीडन देश में सूचना की स्वतंत्रता की गई है प्रदान

स्वीडन में, स्वीडिश प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम जनता को आधिकारिक दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति देता है और स्वीडिश संविधान में शामिल है। 1766 में बना यह आधुनिक अर्थों में सूचना की स्वतंत्रता पर पहला कानून था। आधुनिक समय में, अधिकार को सार्वजनिक पहुंच के सिद्धांत (स्वीडिशः ऑफेंटलाइट्सप्रिंसिपेन) के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक पहुंच के सिद्धांत का अर्थ है कि जनता को सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी की गारंटी दी जाती है। सरकारी एजेंसियों द्वारा संभाले जाने वाले सभी आधिकारिक दस्तावेज़ तब तक सार्वजनिक होते हैं जब तक उनमें सूचना की स्वतंत्रता और गोपनीयता अधिनियम के तहत गोपनीय बताई गई जानकारी शामिल न हो। आधिकारिक दस्तावेजों में भागीदारी के प्रत्येक अनुरोध को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जाएगा और दस्तावेज़ या जानकारी को गोपनीय के रूप में वर्गीकृत करना अपील के अधीन होगा। संविधान आपराधिक अभियोजन या नतीजों के जोखिम के बिना जानकारी देने के सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकार और रिक्सडैग जैसी विधान सभा की कार्यवाही और बैठकों में भाग लेने के अधिकार को भी मान्यता देता है।जहां तक सूचना का संबंध है, इस सिद्धांत में कुछ छूट हैं। स्वीडन की सुरक्षा या अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्वीडन की केंद्रीय राजकोषीय, मौद्रिक या मौद्रिक नीति सार्वजनिक प्राधिकरणों का निरीक्षण, प्रबंधन या अन्य पर्यवेक्षी गतिविधियाँ किसी अपराध को रोकने या मुकदमा चलाने के लाभ सार्वजनिक संस्थानों के आर्थिक हित व्यक्तिगत विषयों की व्यक्तिगत या आर्थिक स्थिति की सुरक्षा पशु या पौधों की प्रजातियों का संरक्षण;

बॉक्स- स्वीडन में सूचना तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का है प्रावधान

सूचना मांगने वाले को सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया स्वीडन तथा भारत में भिन्न-भिन्न है, जिसमें स्वीडन में सूचना मांगने वाले को तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। सूचना प्रदान करने लिए भारत में 1 माह का समय निर्धारित किया गया है, हालांकि भारत ने जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घण्टे का समय दिया गया है, किन्तु स्वीडन अपने नागरिकों को तत्काल सूचना उपलब्ध करवाता है। सूचना न मिलने पर अपील प्रक्रिया भी है। स्वीडन में सूचना न मिलने पर न्यायालय में जाया जाता है। वहीं भारत में सूचना आयुक्त अपील और शिकयतों का निपटारा करता है। स्वीडन किसी भी माध्यम द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध करवाता है जिनमें वेबसाइट पर भी सूचना जारी की जाती है। वहीं भारत प्रति व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाता है।

गोपनीयता के मामले में स्वीडन ने गोपनीयता एवं पब्लिक रिकार्ड एक्ट 2002 तथा भारत ने राष्ट्रीय, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा तथा अधिनियम की धारा 8 में उल्लिखित प्रावधानों से सम्बन्धित सूचनाएं देने पर रोक लगा रखी है। स्वीडन सूचना अधिकार कानून की जननी है। उससे भी महान स्वीडन का संविधान है जिसने पूरी दुनिया में पुराना संविधान होने का दावा जा रहा है। जिसमें सूचना के अधिकार को अपने दामन में समेटे हुए लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है।

जबकि, भारत देश में जहाँ सूचना देने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, वहीं स्वीडन ने सूचना तत्काल और निःशुल्क दिए जाने की पैरवी की है। मैक्सिको ने जहां खुद ही अपने नगारिकों को सूचना लेने और सरकार को सूचना स्वतः प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जिसने लोगों की आज़ादी को एक नया पंख लगा दिया है। स्वतः सूचना जारी करने का निर्देश तो भारत की सरकार ने भी दिया है, लेकिन किसी भी राज्य और केन्द्र के विभाग ने इसकी कोई पहल नहीं की है। भारत में लोक सेवकों, राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा इस कानून को निरर्थक कहकर बंद करने की मांग उठाई जाती रही है, जिससे उनकी नीयत की पोल खुलती है। भारत में इसकी स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि खुद सरकार भी इस कानून को लेकर गम्भीर नज़र नहीं आ रही है।

अज़रबैजान से कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को प्रत्यारोपित कर लाया गया रांची

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , अजरबैजान से प्रत्यर्पण के बाद झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा गैंगस्टर मयंक सिंह को शनिवार सुबह रांची लाया गया. बताया जाता है कि झारखंड एटीएस के पुलिस अधीक्षक ऋषव कुमार झा के नेतृत्व में एटीएस के दल ने दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कर मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को वापस लाने के लिए आजरबैजान का दौरा किया.लोरेस गैंग का भी पी करीबी बताया जाता है यह अपराधी। कथित अपराधी सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक सिंह मूल रूप से राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के मंडी थाना क्षेत्र के घड़साना का रहने वाला है।

रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद झा ने कहा, "झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण है. हमें उम्मीद है कि विदेश में मौजूद बाकी अपराधियों को भी जल्द ही प्रत्यर्पण या निर्वासन के जरिए वापस लाया जाएगा." उन्होंने कहा, "यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री और राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग को जाता है."

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने नवीन पटनायक से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली

मनोरंजन सासमल , वरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज नवीन पटनायक के आवास पहुँचे और उनसे मुलाकात की। नवीन पटनायक के अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटने के बाद, मुख्यमंत्री ने उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और खुलकर बातचीत की। सिर्फ़ मुख्यमंत्री ही नहीं, जानकारी के अनुसार, कई नेता आज नवीन पटनायक से मुलाकात कर सकते हैं।बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता नवीन पटनायक डिहाइड्रेशन के कारण बीमार पड़ गए थे और राजधानी के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ठीक होने के बाद, वे अपने आवास पर लौट आए हैं। तब से, कई नेता और समर्थक, चाहे वे किसी भी दल से जुड़े हों, उनसे मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछ रहे हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

झारखंड में बारिश ने बरपाया कहर , सरायकेला जिले में मिट्टी का घर ढहे- 3 मृत , 8 घायल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला खरसावां , झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग-अलग हिस्सों से दर्दनाक हादसों की खबरें आई हैं। अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, एक व्यक्ति लापता है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पालामू, गढ़वा और चतरा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि लातेहार, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

झारखंड के ओडिशा के मयूरभंज जिला से सटे सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के डांडू गांव में शुक्रवार रात एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें एक परिवार संतोष लोहार के दस लोग मलवे में दब गये । जिसमें महिला शान्ति और उसका 7 सात वर्षीय बेटा प्रवीण की मौत इलाज के दौरान हो गयी । गांव के लोगों ने बड़ी बहादुरी दिखा तथा वर्षा का परवाह किये वगैर मिट्टी हटाते हुए सभी को बाहर निकाला

इस घर में इस हादसे में आठ अन्य लोग भी घायल हुए हैं, इलाजरत है । इसी जिले के खरसावां थाना क्षेत्र के कोल शिमला गांव में शनिवार तड़के एक घर की दीवार ढह गई। इस हादसे में पांच साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता और बहन घायल हो गए। सभी घायलों को सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

चतरा जिले के कटघरा गांव में शुक्रवार को सियारी नदी में एक दंपति बह गया। पति का शव बरामद कर लिया गया है लेकिन पत्नी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं चतरा जिले के पथलगड़ा प्रखंड के खैराटोला गांव में बारिश से जुड़े एक अन्य हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

लगातार हो रही बारिश से पूरे राज्य में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, मकान गिर गए और सड़कें पानी से लबालब हो गईं। रांची में पिस्का स्टेशन के पास रेल ओवरब्रिज का हिस्सा ढह गया, जिससे एनएच-43 पर लंबा जाम लग गया। राजधानी के ब्रांबे बाजार इलाके में एनएच-39 पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। धुर्वा में जगन्नाथ मंदिर जाने वाली सड़क पर बड़ी दरार पड़ गई और मोराबादी, कोकर, नामकुम समेत कई निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया।

चतरा के पथलगड़ा क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म में पानी घुस जाने से सैकड़ों मुर्गियों की मौत हो गई। जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी मंगो पुल पर और खरकई नदी आदित्यपुर पुल पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोहरदगा जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं कोडरमा जिले में तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच जाने के बाद आठ गेट खोल दिए गए हैं। उधर सरायकेला एवं जमशेदपुर उपायुक्त ने लोगों को सतर्त किया है , उड़ीसा से डैम के फाटक खूलने से किसी प्रकार अनहोनी होने न पाये ।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी बाबूराज पीपी ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के ऊपर सक्रिय है। इसके कारण अगले 24 घंटे में बारिश पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगी और धीरे-धीरे कमजोर होगी। राज्य में 29 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में लातेहार के चंद्रा में सबसे ज्यादा 205 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सरायकेला में 146 मिमी, रांची और चाईबासा में 120-120 मिमी बारिश हुई। एक जून से 23 अगस्त तक झारखंड में 927.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश 738.3 मिमी होती है। यानी इस अवधि में राज्य में अब तक 32 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है ।

चंद्रलोक बस में पटना से रांची लाई जा रही थी करोड़ रू की नकली नोट

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड की राजधानी पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है । शनिवार को 500 रुपये के 42 बंडल जाली नोट जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में गिरोह के दो सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए, जबकि सरगना समेत अन्य फरार हैं। शनिवार को, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार से चन्द्रलोक बस के जरिए नकली नोटों की बड़ी खेप रांची लाई जा रही है। इसी आधार पर टीम ने रातु रोड स्थित न्यू मार्केट चौक पर छापेमारी की। बस से तीन कार्टन एक कार में उतारे जाने के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर तलाशी ली। कार्टनों से 500 रुपये के नोटों के 42 बंडल बरामद हुए। इनमें 20 बंडल में 300-300 और 22 बंडल में 350-350 जाली नोट मिले। साथ ही दो पैकिंग कार्टन और दो मोबाइल भी जब्त किए गए।

गिरफ्तार आरोपियों में मो. साबीर उर्फ राजा (27), निवासी नूर नगर, हरमु बायपास रोड और साहिल कुमार उर्फ करण (32), निवासी हरमू हाउसिंग कॉलोनी शामिल हैं। दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि इस धंधे का सरगना दिल्ली निवासी नीरज कुमार चौधरी है, जो फोन और व्हाट्सएप से संपर्क कर सप्लाई करवाता था। गिरोह असली नोट ऊपर-नीचे रखकर बीच में नकली नोट पैक करता और 40-50 हजार में खेप बेच देता।

भूबनेश्वर एयरपोर्ट में 4 करोड़ गांजा जब्त, दंपत्ति गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

भुबनेश्वर : भूबनेश्वर से 4 करोड़ रुपये का गांजा ज़ब्त किया गया। बैंकॉक से भुवनेश्वर तस्करी कर रहे एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। डीआरआई ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे से लगभग 4 करोड़ रुपये का गांजा ज़ब्त किया है। पुलिस एक युवक और युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।जानकारी के अनुसार, दो युवक प्रुम्रा बैंकॉक से भुवनेश्वर भारी मात्रा में गांजा तस्करी कर रहे थे। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर दोनों पर शक होने पर कस्टम विभाग के कुछ अधिकारियों ने जाँच की। जाँच के दौरान लगभग 4 करोड़ रुपये का गांजा बरामद हुआ। डीआरआई ने सारा गांजा जब्त कर लिया है। पुलिस इस घटना में शामिल युवक और युवती से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि भुवनेश्वर में यह नशीला पदार्थ कहाँ से तस्करी करके लाया जा रहा था और इसमें और कौन-कौन शामिल है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023